खण्ड: 4, अंक: 6

जून 2021

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

सोशल मीडिया एवं भारतीय राज्य
गोपनीयता, स्वायत्तता एवं संप्रभुता

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2021

रूपाकंन एवं संयोजनः आर. किशोर

संश्लेषण

सोशल मीडिया एवं भारतीय राज्यः गोपनीयता, स्वायत्तता एवं संप्रभुता

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. भारतीय गणराज्य बनाम सोशल मीडिया गणराज्यः लिवायथन संघर्ष 1–6
– प्रीति यादव

2. डिजिटल मीडिया एवं राज्य संप्रभुताः एक विमर्श – निशांत यादव 7–14

3. सोशल मीडिया एवं लोकतंत्रः एक वैचारिक अध्ययन – रमेश चौधरी 15–19

4. सोशल मीडिया एवं समाजः एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य – गरिमा शर्मा 20–23

5. सोशल मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021ः एक अंर्तविरोध 24–29
– राम किशोर

6. सोशल मीडियाः–अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक साधन के रूप में 30–35
– नीलम

7. सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति पर प्रभावः आवश्यकता व निर्भरता 36–40
– राखी

8. भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिकाः विवाद एवं विषमताएँ 41–46
– काजल

9. भारत में सोशल मीडियाः नागरिकों की गोपनीयता पर एक प्रश्न 47–49
– शंभू

10. सोशल मीडिया एवं सामाजिक समूहबद्धताः एक अध्ययन – सृष्टि 50–53

सम्पादकीय

निरंतरता, निष्पक्षता एवं नवीनता के आधारभूत गुणों से संचालित केंद्र की हिंदी मासिक पत्रिका संश्लेषण के 35वें अंक को आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। प्रत्येक माह के समसामयिक विषय पर विभिन्न विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लेखों के माध्यम से समाज विज्ञान के विभिन्न वाद–विषयों पर एक नवीन विमर्श प्रचलित करना केंद्र की विशिष्ट सफलता रही है।

वैश्वीकरण के इस युग में तथा विशेषकर 21वीं शताब्दी में विश्व के बड़े लोकतंत्रों में सोशल मीडिया की सक्रिय उपस्थिति ने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विमर्शों को ना केवल जन्म दिया, अपितु उन्हें मुख्यधारा के विमर्श के रूप में स्थापित भी किया है। विगत कुछ वर्षों में साधारण मेलजोल का यह आभासी मंच जन–सामान्य के लिए अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण मंच के रूप में परिणीत होता दिखाई दिया है। इसे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जनमानस की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, आलोचनाओं, समस्याओं, समर्थनों को प्रत्यक्ष करने के एक प्रभावी अभिकर्ता के रूप में देखा जा सकता है।

परंतु, जहाँ एक ओर इसने विचारों व सूचनाओं के प्रसार के माध्यम से तथा इसके द्वारा जनता की सहभागिता के माध्यम से लोकतांत्रिकरण को सशक्त करने में योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति के इस सामाजिक मंच की (अ)सामाजिकता व अराजकता ने राज्यों के समक्ष गोपनीयता, स्वायत्तता व संप्रभुता संबंधी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। वर्तमान में भारत में सोशल मीडिया पर राज्य के नियंत्रण से संबंधित नियम इन्हीं चुनौतियों से उपजी अंतःक्रिया का परिणाम हैं। यद्यपि समाज का एक वर्ग राज्य द्वारा बनाए गए इन नियमों को निरंतर राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन मानकर आलोचित करता रहा है। परंतु वर्तमान संदर्भ में, जहाँ इन मंचों पर की गई अभिव्यक्तियों व टिप्पणियों का व्यापक सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव होता है, राज्य द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत अंक भारत में सोशल मीडिया की स्वतंत्रता व राज्य की संप्रभुता के मध्य अंतःक्रिया तथा उससे उपजे विमर्श के विविध पक्षों पर केंद्रित चिंतनशील लेखों का संकलन है। समाज विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने अपने स्वतंत्र चिंतन एवं सारगर्भित लेखन

के माध्यम से विषय से संबंधित नवीन व महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया ह।

इन लेखों पर आप सभी की टिप्पणियों व सुझावों के आधार पर हम आगामी अंकों में और अधिक गुणवत्ता लाने को प्रतिबद्ध हैं। अतएव आप सभी विद्वतजनों का सहयोग अपेक्षित हैं।

संपादक मंडल **14 अगस्त 2021**

1

भारतीय गणराज्य बनाम सोशल मीडिया गणराज्यः लिवायथन संघर्ष

प्रीति यादव

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, दिल्ली शिक्षा निदेशालय

'हम भारत के लोग, भारत को एक

संपूर्ण प्रभुत्व– संपन्न, समाजवादी, पंथ– निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य................'

उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के स्वर्णिम शब्दों में भारतीय गणराज्य की विशेषता को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य अध्ययन हेतु चार अनिवार्य तत्व माने जाते हैं– जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। इन समस्त चार तत्वों की उपलब्धता राज्य निर्माण हेतु अनिवार्य है।

वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या 7.9 अरब के करीब है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है य जो कुल 145 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे नंबर पर भारतीय राज्य है जो विश्व की कुल 18 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात 135 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहा है। यह जनसंख्या प्रतिनिधित्व भौतिक गणराज्य के अस्तित्व के लिए प्रथम शर्त है जो उस गणराज्य विशेष के नागरिक कहलाते है।

परंतु वैश्वीकरण ने विश्व पटल पर अनेकों नवीन परिदृश्य पैदा किए हैं जिसमें 21वीं सदी का एक सबसे महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिदृश्य काल्पनिक विश्व है। जहां पर भौतिक विश्व की प्रत्येक वस्तु का वर्चुअल क्लोन मिलता है। इस वर्चुअल संसार की जननी आधुनिक तकनीक एवम प्रौद्योगिकी है जिसके सहारे पूरा विश्व एक क्वांटम दुनिया में जी रहा है। वर्चुअल संसार में भी शक्तिशाली साम्राज्य कार्यरत है जो मानव की वर्चुअल दुनिया पर नियंत्रण एवम प्रबंधन रखते हैय यह डिजिटल संप्रभु स्वयं को वर्चुअल संसार का डिजिटल गणराज्य मानते है। इन डिजिटल गणराज्य में सम्मिलित है– व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया मंच।

यदि हम इन डिजिटल गणराज्यों की जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर भौतिक गणराज्यों से तुलना करे तो यह काफी आगे है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया का लोकप्रिय प्लेटफार्म फेसबुक के कुल 290 करोड उपयोगकर्ता है, वही व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता 250 करोड़ और

ट्वीटर के 200 करोड़ है। 2 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं की संख्या के साथ यह डिजिटल मंच स्वयं को सर्वाधिक विशाल गणतंत्र मानने लगे हैं तथा स्वयं को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संप्रभु के रूप में चित्रित करने लगे हैं।

दूसरा घटक भूभाग का है यजिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य की एक सीमा निर्धारित होती है, जो विश्व मानचित्र पर उस गणराज्य का स्थान एवं स्थिति को स्पष्ट करती है। यह सीमांकन कोई गणितीय गतिविधि नहीं होती की लेखनी– मापनी लेकर भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राज्य मानचित्र पर उकेर दिए गए। इस सीमांकन का एक अत्यंत प्राचीन भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक आधार होता ह, जो समयकाल के साथ चलता है। वही डिजिटल गणराज्य की बात करें तो ये भूभाग के सिद्धांत को तोड़ते हुए 'वैश्विक गांव' के दर्शन को चरितार्थ करता है। नागरिकों को एक समान मंच प्रदान करता है जहां अभिव्यक्ति, संप्रेषण, सूचना जैसी गतिविधियां सभी भौगोलिक सीमाओं एवम समय बंधन से उन्मुक्त होती है।

तीसरा घटक सरकार का है जो कि किसी भी सामाजिक संगठन को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा मानव के प्राकृतिक अवस्था से विधिक अवस्था में प्रवेश को संदर्भित किया है। सरकार वह संस्था होती है जो समस्त जन के नाम पर शासन करती है और समाज को कानून व्यवस्था प्रदान करके एक व्यवस्थित समाज के निर्माण का कार्य करती है। इस सरकार को ही हॉब्स ने 'लिवायथन' की संकल्पना दी हैं, जिसके अंतर्गत समाज, सरकार एवम राज्य सभी समाहित होते है। सरकार अनिवार्य बुराई है जिसके बिना गणराज्य की संकल्पना एवं संचालन संभव नहीं है।

डिजिटल गणराज्य को जब सरकार की कसौटी पर उतारा जाता है तो पाया जाता है कि इनके पास भी अत्यंत विशाल जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु अनेक उपाय हैं, उपयोगकर्ता प्लेटफार्म की सदस्यता के लिए स्वयं की डिजिटल पहचान एवं सूचना साझा करते है, साथ ही साथ हम यूजर्स इनकी निर्धारित टर्म एंड कंडीशन को बिना गंभीरता से जाने स्वयं की निजता डिजीटल लिवायथन को समर्पित कर देते है। जिस प्रकार एक गणराज्य में हम अराजक पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार इन मंचों पर भी उपयोगकर्ताओं को नियमावली का ध्यान रखना पड़ता है अन्यथा विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इन डिजिटल गणराज्य द्वारा देश निकाला दिया जा चुका है।

चौथा घटक संप्रभुता का है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान का अत्यंत चर्चित एवं महत्वपूर्ण शब्द है। भारतीय संविधान संपूर्ण संप्रभुता पर आधारित गणराज्य की बात करता है जिसका अभिप्राय है कि किसी भी बाहरी एवं आंतरिक अधीनता से भारत मुक्त है। वास्तव में संप्रभुता ही राज्य की असली पहचान है इसको ऑस्टिन की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार समझे तो निम्न है–

'If a determinate human superior not in a habit of obedience to a like superior] receive habitual obedience from the bulk of a given society] that determinate superior is sovereign in that society]and the society (including the superior) is a society political and independent.'

उपरोक्त कथन में ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता को स्थाई, निर्धारित स्त्रोत एवं अविभाज्य के गुणों के साथ माना गया है। भारत के संदर्भ में संप्रभुता का सर्वोच्च एवं स्थाई स्त्रोत भारतीय संविधान है, अन्य कोई सर्वोच्च शक्ति संप्रभु संविधान एवं संसद का स्थान नहीं ले सकती है और ना ही उसके आदेश को नकार सकती हैं, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार ऑस्टिन स्पष्ट करते हैं कि

'संप्रभु का आदेश ही सर्वोच्च विधि है'

दूसरी ओर डिजिटल साम्राज्य द्वारा स्वयं को सर्वोच्च शक्तिशाली प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है और भौतिक गणराज्य की संप्रभुता को न्यून करने एवं चुनौती देने की कपोल कल्पना की जा रही है। डिजिटल गणराज्य के पास उपरोक्त तीन राज्य घटक वर्चुअल रूप से उपलब्ध है परंतु चौथा घटक संप्रभुता उसके पास नहीं है क्योंकि संप्रभुता हेतु स्थाई और निर्धारित स्त्रोत होना अनिवार्य है जिसके आधार पर गणराज्य अपने नागरिकों के केवल किसी एक क्षेत्र में नही बल्कि समस्त क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है क्योंकि इसकी स्वीकृति उसको स्वयं जनमानस देता है। ऑस्टिन संप्रभु के इस गुण के आधार पर उसको समस्त दैवीय एवम नैसर्गिक शक्तियों से भी सर्वोच्च मानता है।

लिवायथन संघर्ष– वास्तव बनाम वर्चुअल

कहावत है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है तो दोनों में संघर्ष स्वभाविक होता है। कथित स्थिति वर्तमान में भारतीय गणराज्य एवं डिजिटल गणराज्य के मध्य देखी जा सकती है जहां भारतीय गणराज्य को डिजिटल सोशल

मीडिया गणराज्यों द्वारा चुनौती दी जा रही है, इनको हम विभिन्न तात्कालिक आयामों में विश्लेषित कर सकते हैं–

नियमावली के दृष्टिकोण से किसी भी गणराज्य में संप्रभु द्वारा निर्मित विधि एवं कानून सर्वोच्च होता है उसका अनुपालन ना होने पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वर्तमान संघर्ष में भारतीय गणराज्य द्वारा डिजिटल मंचो हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित किए गया, जिनका उद्देश्य इन सभी सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना है **Twitter, WhatsApp, Facebook** जैसे बिग टेक ने स्वयं को संप्रभु एवं शक्तिशाली मानते हुए इन नियमों के पालन हेतु प्रयास करने के विपरीत भारतीय गणराज्य के विरुद्ध ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। यह इन मंचों की उदंडता को दर्शाता है यह डिजिटल सम्राज्य स्वयं के विधान एवं कानूनों को भौतिक गणराज्यों से सर्वोच्च मानते हैं। परंतु भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने अत्यंत माकूल निर्णय देते हुए कहा

'आप अवश्य ही 2–3 ट्रिलियन टर्नओवर के साम्राज्य होंगे परंतु आप सवा करोड़ जनसंख्या के प्रति जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं।'

सर्वोच्च न्यायपालिका का यह निर्णय दर्शाता है की भारतीय संप्रभुता के लिए उसका लोक (जनता) सर्वोपरि है। अतः यह बिग टेक जो स्वयं को मात्र जनसंख्या एवम धन बल के आधार पर संप्रभु मान रहे हैं वह वास्तव में भूल गए की संप्रभुता लोक से निर्मित होती है न की निरकुंशता से।

आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम इन बिग टेक का अध्ययन करत हैं तो ज्ञात होता है की भारत में इतने विशाल उपयोगकर्ताओं का मंच होने के बावजूद भी इनके द्वारा भारतीय गणराज्य को दिया जाने वाला राजस्व अत्यंत नाममात्र का है। साथ ही यदि इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए तो आभास होता है कि इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देश 2021 को न लागू करने के पीछे इनका आर्थिक कारण भी स्पष्ट है जिसके अंतर्गत 50 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले डिजिटल मंच को भारत में है अपने औपचारिक कार्यालय एवं बोर्ड की स्थापना अनिवार्य है जिससे कि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। परंतु यह डिजिटल गणराज्य उपभोक्ताओं का प्रयोग तो करना चाहते हैं परंतु उनके प्रति सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार का राशि खर्च नहीं करना चाहते हैं। यह

औपनिवेशिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहते हैं जैसा ब्रिटिश कंपनी द्वारा एक समय पर भारत के साथ किया गया था।

राजनीतिक दृष्टिकोण से इनकी कार्यप्रणाली को अगर विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इनके द्वारा राज्य सरकारों के निर्माण में भूमिका निभाने हेतु सभी प्रकार के नैतिक एवं गैर नैतिक तरीकों का प्रयोग किया जाता रहा है। सर्वप्रथम एवं स्पष्ट उदाहरण अमेरिका का आता है जहां किस प्रकार फेसबुक के आंकड़ों का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। भारतीय गणराज्य के संदर्भ में किसान आंदोलन टूल किट का अनावरण इन्हीं सोशल मीडिया मंचो पर किया गया जिन्होंने गणतंत्र दिवस भारतीय गणराज्य को चोट पहुंचाने का प्रयास किया।

उपरोक्त आयामों क विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वास्तविक या यथार्थ लिवायथन वह है जो समाज, सरकार एवं राज्य को संगठित एवं एकीकृत करके उन्हे अपनी संप्रभुता के अंतर्गत सुरक्षित रखता है। इस वास्तविक और वर्चुअल लिवायथन संघर्ष में दोनो गणराज्य को समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक संप्रभु की शक्ति का स्त्रोत लोक है। लोक ही संप्रभु का चयन करते है और उस से जन के प्रति समर्पित होने का वचन लेते है। भौतिक दुनियां में भौतिक गणराज्य ही लिवायथन है और वर्चुअल दुनिया मे ये डिजिटल टेक इसका आनंद उठा रहे है। परंतु सत्य और स्थाई भौतिक गणराज्य है। अतः यदि डिजिटल गणराज्य, वर्चुअल लिवायथन का स्तर बनाकर रखना चाहते है तो उनको अपनी शक्ति का आधार स्पष्ट होना चाहिए और जन की इच्छा और कल्याण को सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि वर्चुअल लिवायथन द्वारा वास्तिविक संसार में उतरा जायेगा और भौतिक गणराज्य के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया जायेगा तो स्वाभाविक है की उसको वास्तविक लिवायथन की अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी क्योंकि ऑस्टिन ने कहा है

'संप्रभुता अविभाज्य है'

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

- **संदर्भ सूची**

- An analysis of essential elements of the State ,Dr S.B.M. Marume, 2R.R. Jubenkanda, 3C.W. Namusi, 4N. C. Madziyire, International Journal of Engineering Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 www.ijesi.org ||Volume 5 Issue 3|| March 2016 || PP.24-28
- John Austin, the province of jurisprudence determined , Prometheus publication, 2000

2

डिजिटल मीडिया एवं राज्य संप्रभुताः एक विमर्श

निशांत यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रथम दृष्टि में, डिजिटल परिवर्तन और इंटरनेट का वैश्विक तकनीकी संरचना संप्रभुता को चुनौती देता प्रतीत होता है। क्षेत्रीयता और राज्य पदानुक्रम के सिद्धांत वैश्विक डिजिटल नेटवर्क के विस्तार, लचीले, हमेशा के लिए परिवर्तित नक्षत्रों के विरोध में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल अनुप्रयोगों और संचार प्रथाओं ने एक ऐसी गति उत्पन्न की है जो कानूनी शासन और नियंत्रण की अवहेलना करती प्रतीत होती है। इसलिए, 1990 के दशक में डिजिटल नेटवर्क के विकास ने राज्य के राजनीतिक ह्रास होने को एक तत्कालिक परिदृश्य बना दिया। और यह संदर्भ अभी भी सार्वजनिक विमर्श में बहुत अधिक विचारणीय है। इसे आज अधिकांश एक वचन के स्थान पर एक संकट के रूप में देखा जा रहा है।

अपने अधिकार के जोखिमों का प्रतिस्पर्धा करने के लिए, राज्यों ने राष्टोय कानूनों को लागू करना और डिजिटल क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप करना संभव बना दिया है। इन वर्षों में, उन्होंने डिजिटल शासन के विषयों को समाधान करने के लिए तकनीकी और कानूनी उपकरणों का निर्माण और सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य नें अपने नागरिका को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया है कि सुरक्षा से लेकर समृद्धि, सांस्कृतिक नियमों और मीडिया नियंत्रण तक ''महत्वपूर्ण तथ्यों'' की रक्षा के लिए संप्रभुता और राज्य प्राधिकरण आवश्यक हैं।

परिणामस्वरूप कई राष्ट्रों में, नागरिक आज आशा करते हैं कि उनकी सरकारें ऑनलाइन उनकी गोपनीयता की रक्षा करेंगी या ऑनलाइन दुष्प्रचार और साइबर अपराध का प्रतिस्पर्धा करेंगी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीकृत–सत्तावादी देशों और उदार लोकतंत्र दोनों में डिजिटल संप्रभुता के लिए विभिन्न आह्वान, राज्य के अधिकार की पुष्टि करने और डिजिटल क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से कहीं अधिक हैं। डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक विमर्श में एक अतिमहत्वपूर्ण शब्द बन गया है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों सहित राष्ट्र राज्य को डिजिटल अवसंरचना के वैश्विक शासन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास में एक

प्रासंगिक श्रेणी के रूप में बहाल करना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ''इंटरनेट ऑफ थिंग्स'' तक की अत्यधिक आक्रामक डिजिटल तकनीकों की व्यापक तैनाती को देखते हुए, हम आने वाले वर्षों में डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा को और भी अधिक राजनीतिक जटिलता प्राप्त करने की आशा से देख सकते हैं। आज तक, डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा का व्यापक रूप से राजनीतिक विमर्श में उपयोग किया गया है, किंतु अकादमिक विमर्श में प्रायः ही कभी इसकी छानबीन की जाती हो वो भी अपवादों की एक छोटी लेकिन बढ़ती संख्या के साथ।

यह समझने के लिए कि यह अवधारणा कहाँ से आती है और यह कहाँ जा रही है, हम दो चरणों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, हम प्रमुख विवादों का पुनर्निर्माण करते हैं जो संप्रभुता और डिजिटल नेटवर्क के मध्य संबंधों को परिभाषित करते हैं। हम तब विश्लेषण करते हैं कि कैसे संप्रभुता और राज्य की अवधारणा फिर से उभरी और डिजिटल संप्रभुता को अपने आप में संप्रभुता के पोषित रूप में उन्नत किया गया। दूसरे, हम डिजिटल संप्रभुता के विभिन्न दावों को व्यवस्थित करते हैं, जिससे अवधारणा के आंतरिक तनाव और अंतर्विरोधों को उजागर किया जाता है। राजनीति की गतिशीलता का पता लगाकर हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा के बारे में जो कल्पना की जाती है कि, राजनीति और नीति में एक विवादास्पद संबंध है, न कि कानूनी और संगठनात्मक सम्बंध अपने परंपरागत रूप में वह सही भी है।

संप्रभुता की राजनीतिक अवधारणा, जिसे एक शासी निकाय द्वारा स्वयं पर शासन करने की शक्ति के रूप में समझा जाता है, बाहरी स्रोतों या निकायों के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त, लैटिन शब्द सुपरनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ''ओवर'' या ''श्रेष्ठ''। जबकि संप्रभुता का पारंपरिक सिद्धांत, जैसा कि सोलहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जीन बोंदा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अंतिम निर्णय लेने के लिए शासक के अधिकार से संबंधित था। जीन–जैक्स रूसो ने इस अवधारणा को पुनः परिभाषित किया जिससे कि यह राजशाही संप्रभुता के के स्थान पर लोकप्रिय संप्रभुता पर केंद्रित हो।

समय के साथ शीघ्रता से लोकतंत्र, कानून के शासन और क्षेत्रीयता से जुड़ा। आज, संप्रभुता हमेशा मुख्य रूप से अन्य राज्यों (बाहरी संप्रभुता) के साथ–साथ राज्य के क्षेत्र (आंतरिक संप्रभुता) के भीतर सभी शक्तियों को नियंत्रित करने की सर्वोच्च शक्ति के साथ एक राज्य की स्वतंत्रता को परिभाषित है। इस प्रकार संप्रभुत अब लोकतांत्रिक संप्रभुता के रूप में समझा जाने लगा। इसमें लोकप्रिय संप्रभुता और नागरिकों के अपने अहरणीय अधिकारों का उपयोग करके

आत्मनिर्णय का प्रयाग करने का अधिकार सम्मिलित है। जो इन सभी अर्थों के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विनिर्देश है, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए संप्रभुता को प्रतिबंधित करता है, जिसे प्रभावी ढंग से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार के लिए एक कार्यात्मक पूर्वापेक्षा के रूप में देखा जाता है।

बोंदा के समय से ही संप्रभुता को राजनीति को समझने के लिए एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में देखा गया है। किंतु 1990 के दशक में इसका महत्व कम होता दिख रहा था और जिससे एक उत्तर–संप्रभु दुनिया की बात शुरू हो रही थी जिसमें राज्य अब शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और अंततः श्रेष्ठ स्रोत नहीं होगा और यहां लोकतंत्र स्वयं को नियंत्रित करने की एक क्षमता और बहुलवाद एवं भागीदारी से अधिक निकटता से जुड़ा होगा। राज्य के महत्व में गिरावट की भविष्यवाणी ने इंटरनेट के विकास और शासन के शुरुआती चरणों को दृढ़ता से प्रभावित किया। राज्य की संप्रभुता के विचार को विशेष रूप से दो भिन्न–भिन्न, फिर भी अंतरसंबंधित, विवादास्पद पहलुओं द्वारा चुनौती दी गई। जिसने सार्वजनिक और अकादमिक विमर्श को साइबर असाधारणता और बहु–हितधारक इंटरनेट शासन के रूप में महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। फिर भी, हाल के वर्षों में, नीति निर्माताओं ने इन दो दृष्टिकोणों के विरूद्ध डिजिटल क्षेत्र में संप्रभुता को सही ठहराने और पुनः पुष्टि करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है।

राज्य संप्रभुता को लेकर दो चुनौतियाँ यथा साइबर अपवादवाद और इंटरनेट शासन उभरी हैं। पहलो चुनौती के तहत साइबर अपवादवाद यह सुझाव देता है कि डिजिटल क्षेत्र गुणात्मक रूप से एनालॉग दुनिया से अलग है और इसलिए डिजिटल स्पेस को पिछले सभी तकनीकी नवाचारों से भिन्न रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता है। 1990 के दशक में वाणिज्यिक इंटरनेट के उदय के दौरान यह परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से लोकप्रिय था, किंतु सार्वजनिक और अकादमिक विमर्शों में अभी भी यह स्पष्ट नहीं है। साइबर अपवादवादी सोच इस धारणा पर आधारित है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त नेटवर्क संचार के बढ़ते महत्व का तात्पर्य राज्य की संप्रभुता के ह्रास से है। तथापि इंटरनेट का वास्तविक विकास ठोस कानूनी बिंदुओं से बाहर नहीं हुआ और बाजार, नियामक व्यवस्थाओं या सार्वजनिक अनुसंधान आधारिक संरचना द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के बिना संभव नहीं होता। साइबर अपवादवाद जो प्रायः साइबर उदारवाद का रूप लेता है यह वस्तुतः अमेरिका में सिलिकॉन वैली में एक सुदृढ़ सांस्कृतिक और आर्थिक समर्थन के साथ 1990 के शुरुआती दिनों में प्रारंभिक विचारधारा थी।

नीति प्रेरित अभिकर्ताओं के रूप में जो स्थापित राजनीतिक संस्थानों पर बहुत अविश्वास करते हं, साइबर स्वतंत्रतावादियों का तर्क है कि राजनीति के डिजिटल रूप से मध्यस्थता वाले रूप समाज के विकेन्द्रीकृत संगठन को प्रेरित करेंगे। यह राजनीतिक संगठन के पारंपरिक रूपों की तुलना में आधुनिक समाजों को नियंत्रित करने की जटिल मांगों के लिए बेहतर अनुरूप प्रतिक्रिया को सक्षम करना चाहिए।

इस दृष्टिकोण में बाहरी संप्रभुता, कानून और क्षेत्रीयता को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संदर्भ में कम मायने रखने की उम्मीद है। इसके लिए तो कई तर्क हैं जैसे सबसे पहले, नेस्टेड जिम्मेदारियों की जटिलता और नेटवर्क की वैश्विक पहुंच को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में ठीक से संबोधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विधायी प्रक्रियाएं डिजिटल प्रौद्योगिकियों और संबंधित व्यापार मॉडल के नवाचार की गति को बनाए रखने के लिए बहुत धीमी हैं। और तीसरा, डिजिटल प्रौद्योगिकियां व्यक्तियों को दायित्व से बचने में सक्षम बनाती हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में एट्रिब्यूशन एक अस्थिर निर्माण बन जाता है। इसलिए क्षेत्रों और संप्रभु राष्ट्रों से बंधी दुनिया के विपरीत, साइबर स्वतंत्रतावाद द्वारा आह्वान की गई दुनिया को अस्तित्व की आवश्यकता है साइबर संप्रभुता, साइबरस्पेस के साथ एक नए और स्वायत्त आभासी क्षेत्र के रूप में जो सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र है।

साइबर अपवादवादी और साइबर उदारवादी पद आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी के बारे में वाद–विवाद। किंतु इसका मुख्य दावा कि, डिजिटल नेटवर्क के उदय से संप्रभुता की क्षेत्रीय अवधारणाओं का अंत हो जाएगा, ने अपना आकर्षण खो दिया है। डिजिटल संचार के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन को लगातार बदल दिया गया है, जिससे डिजिटल प्रवाह का निरीक्षण और संचालन करना आसान हो गया है। इस प्रवृत्ति को इंटरनेट के व्यावसायीकरण द्वारा प्रबलित किया गया है, क्योंकि इसने दीवारां वाले बगीचों को जन्म दिया है और एक बढ़िया, कम गुमनाम और कम क्षैतिज वास्तुकला में रुचि रखने वाले नए एजेंटों का निर्माण किया है, जो कई बिंदुओं पर हस्तक्षेप की अनुमति देता है।

कम से कम वर्ष 2000 के पश्चात् से, अपने मूल अर्थ में संप्रभुता के लिए एक दूसरी बहु–हितधारक इंटरनेट शासन, संबंधित लेकिन कम टकराव वाली चुनौती उभरी। यहां, डिजिटल विषयों को विनियमित करने में राज्यों की कमियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, किंतु विभिन्न और गैर–संप्रभु भूमिकाओं पर राज्य एक नियामक आदर्श की भूमिका निभाता ह जो इंटरनेट के प्रशासन को सीधे प्रभावित लोगों के कार्य के रूप में देखता है। तकनीकी समुदाय में

अपनी उत्पत्ति लेते हुए, विशेषज्ञता और योग्यतापूर्ण निर्णय लेने की विशेषता, विकेन्द्रीकृत प्रक्रियाओं की एक बहुलता उभरी, जिसे इंटरनेट को बनाए रखने और विकसित करने के लिए साझा मानदंडों, नियमों और प्रक्रियाओं के विकास और अनुप्रयोग की सेवा के लिए डिजाइन किया गया था। इस दृष्टि में, स्व–शासन खुलेपन, समावेशन, बॉटम–अप सहयोग और सहमति से निर्णय लेने के सिद्धांतों के आधार पर एक बहु–हितधारक शासन संरचना में होगा।

यह तर्क दिया गया था कि समन्वय का यह रूप एक केंद्रीय निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की आवश्यकता का प्रतिकार कर सकता है। जबकि बहु–हितधारक इंटरनेट शासन वैश्विक नीति क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गया है, यह विभिन्न प्रकार के संघर्षों की विशेषता है। इसके बाहरी संघर्ष प्रायः इस तथ्य में निहित होते हैं कि बहु–हितधारक शासन मॉडल स्थापित सरकार–प्रभुत्व वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के साथ बदलने का प्रयास करता है।

इसके विपरीत, कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने बहुपक्षीय संस्थानों के हाथों में इंटरनेट शासन के विषयों पर बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार देने पर बल दिया है और इसलिए, उन्हें राज्य के नियंत्रण के अधीन कर दिया है। क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष तेजी से स्पष्ट समन्वय समस्याओं के कारण होते हैं, जो प्रायः समानांतर इंटरनेट शासन प्रक्रियाओं की भीड़ के साथ–साथ मुख्य रूप से तकनीकी मामलों से अधिक खुले राजनीतिक या सामाजिक प्रश्नों की ओर विषयगत परिवर्तन के कारण होते हैं।

इसके अतिरिक्त, बहु–हितधारक इंटरनेट शासन के विचार पर प्रायः नवउदारवादी सोच से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। डिजिटल नेटवर्क के विकास को और अधिक सुदृढ़ता से क्षेत्रीय बनाने के लिए सत्तावादी और लोकतांत्रिक दोनों देशों के बढ़ते प्रयासों को देखते हुए, यह संदेहास्पद है कि क्या बहु–हितधारक इंटरनेट शासन में सुधार क प्रयासों को वह स्वीकृति मिलेगी जो मॉडल और उसके सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक होगी। इसलिए, बहु–हितधारक इंटरनेट शासन को शासन के भविष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है, न ही संप्रभु राज्यों द्वारा निर्णय लेने के लिए एक द्विभाजित विकल्प के रूप में, किंतु गैर–बाध्यकारी समन्वय प्रक्रियाओं के लिए अनुकूलित समानांतर शासन मॉडल के रूप में देखा जा सकता है।

इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा के पैरोकार, जो आजकल राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में लोकप्रिय हैं, को न केवल एक नेटवर्क की दुनिया

की शासन क्षमता के बारे में अपने कुछ शुरुआती विश्वासों को उलटना पड़ा, किंतु यह कि संप्रभुता का विचार स्वयं ही परिवर्तित हो गया है। विषय अब साइबर संप्रभुता नहीं है, जो संप्रभुता के लिए एक गैर–क्षेत्रीय चुनौती है जो इंटरनेट के आभासी क्षेत्र के लिए विशिष्ट है। आज, डिजिटल संप्रभुता एक अधिक व्यापक अवधारणा बन गई है, जो न केवल इंटरनेट संचार और कनेक्शन के विषयों को संबोधित करती है किंतु समाजों के व्यापक डिजिटल परिवर्तन को भी संबोधित करती है। डिजिटल संप्रभुता को विशेष रूप से राष्ट्र–राज्य में अब प्रायः एक आदेशित, मूल्य–चालित, विनियमित और इसलिए उचित और सुरक्षित डिजिटल क्षेत्र के लिए शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग की जाती है। यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता, सामूहिक और ढांचागत सुरक्षा, राजनीतिक और कानूनी प्रवर्तनीयता और निष्पक्ष आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बहुआयामी समस्याओं को हल करने के लिए माना जाता है।

परंपरागत रूप से, संप्रभुता को बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य कानून के रूप में माना जाता है जो स्पष्ट संरचनात्मक व्यवस्था द्वारा समर्थित है, जैसे कि हिंसा पर राज्य का एकाधिकार। इस संदर्भ में, राज्य को कमोबेश एक सुसंगत अभिकर्ता, सक्षम, स्वतंत्र और इसलिए स्वायत्त के रूप में माना जाता है। यद्यपि संप्रभुता हमेशा अपूर्ण रही है–स्टीफन क्रास्नर ने इसे ''संगठित पाखंड'' के रूप में प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया है। वेस्टफेलियन प्रणाली में संप्रभु शक्ति के साधन अपेक्षाकृत सीधे हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन, वैश्वीकरण और प्लेटफॉर्माइजेशन के कारण स्थिति और जटिल हो गई है। किसी राज्य की डिजिटल संप्रभुता को कानूनों को निर्धारित करने, संवाद करने और लागू करने की उसकी क्षमता तक कम नहीं किया जा सकता है।

राज्य के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर होने के स्थान पर, डिजिटल संप्रभुता गहन आक्रमणकारी है। डिजिटल संप्रभुता को सुदृढ़ करने के विचार का अर्थ न केवल सक्रिय रूप से निर्भरता का प्रबंधन करना है। किंतु नियंत्रण और हेरफेर के आधारिक संरचना का निर्माण करना भी है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि डिजिटल के संबंध में संप्रभु शक्तियों को लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह कैसे ठहराया जा सकता है, इस पर बहुत अधिक चिंतन और बहस की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित करना पर्याप्त नहीं है कि बड़े डिजिटल निगमों की शक्ति को लोकतांत्रिक संप्रभुता के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि विश्व भर में कई लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सुझाया गया है।

इसी प्रकार, हमें उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की क्षमता के साथ डिजिटल संप्रभुता की समानता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि प्रायः यूरोप में नीति निर्माण अभिकर्ताओं द्वारा

किया जाता है। डिजिटल संप्रभुता अपने आप में एक अंत नहीं है। इसके स्थान पर, हमें प्रक्रियात्मक संरचना पर और अधिक विचार करना होगा कि कैसे संप्रभु शक्ति को जवाबदेह ठहराया जा सकता है और डिजिटल संप्रभुता को सही अर्थ में लोकतांत्रिक बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिबिंब और नियंत्रण के लिए खोला जा सकता है।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ सूची

- शर्मा, रुचिर (2016). द राइज एंड फाल ऑफ द नेशन. नई दिल्लीरू पेंग्विन विकिलीक्स
- https://news.umich.edu/hi/
- https://www.amarujala.com/columns/opinion/right-to-privacy-in-the-digital-age
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1728928
- https://www.orfonline.org/hindi/research/social-media-platform/
- https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/indias-new-guidelines-for-social-media-digital-news-media-and-ott-platforms/for-digital-news-media/slideshow/81266800.cms

3

सोशल मीडिया एवं लोकतंत्रः एक वैचारिक अध्ययन

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

15वीं शताब्दी में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में क्रांति आरंभ की थी, जिससे सूचनाओं और विचारों का प्रसार अत्यधिक शीघ्रता से हुआ। लोकतंत्र और विभिन्न राजनीतिक विचारों के प्रसार में भी प्रिंटिंग प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान युग में, सोशल मीडिया लोकतंत्र और राजनीति में एक समान प्रतिमान के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आज, सोशल मीडिया उन सभी विषयों के संबंध में विचार और सामग्री को सुगम बनाने और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनका जनमत, राजनीति और अंततः लोकतंत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

तथापि सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव और बढ़ते उपयोग ने लोकतंत्र को उत्तम और नागरिक उन्मुख बनाने में सहायता की है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर में नागरिक भिन्न–भिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान सोशल मीडिया के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं। परंतु समय के साथ साथ सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षति और अराजकता के उद्भव में भी अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि इसके संचालन की अनियमित प्रकृति व व्यवस्था और त्रुटिपूर्ण, भ्रम फैलाने व अफवाहों के प्रसार के लिए भी सोशल मीडिया उत्तरदायी है। अंततः, सोशल मीडिया को इस प्रकार कानूनी रूप से विनियमित करने को आवश्यकता है जो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के हित, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून और व्यवस्था के मध्य संतुलन बनाए और शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दें। फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अभूतपूर्व उदय आर बढ़ते चलन का प्रभाव लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए दोधारी तलवार की प्रकृति के समान सिद्ध हो रहा है। एक ओर, सोशल मीडिया ने सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण किया है। तो दूसरी ओर, उसका गलत उपयोग भी हो रहा है जिसमें त्रुटिपूर्ण समाचार, अफवाह फैलाना और राजनीतिक उन्माद को बढ़ावा देना प्रमुख है।

सोशल मीडिया और लोकतंत्र पर उसके सकारात्मक प्रभाव

सी– गवर्नेंस के विकास में सहायता– सोशल मीडिया ने भारत में नागरिक नेतृत्व वाले शासन (सी– गवर्नेंस) का उदय किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनमानस में जागरूकता पैदा करने और किसी भी सामाजिक विषय, कार्य और कारण के लिए एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में, सोशल मीडिया का अस्तित्व नागरिकों को किसी समस्या के समाधान तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सी–गवर्नेंस के प्रभावी होने के लिए लोगों के पास जानकारी हाना आवश्यक है और वह इसे दूसरों तक पहुंचाने में सरलतापूर्वक सक्षम हो यह भी अत्यंत आवश्यक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सूचनाओं के आदान–प्रदान को काफी आसान बनाते हैं।

अभिव्यक्ति का लोकतंत्रीकरण– सोशल मीडिया ने लोकतंत्र और राजनीति को अधिक समावेशी बनाया है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी नागरिक जो परंपरागत रूप से राजनीति से अनभिज्ञ और दूर रहे हैं वह भी इनके जरिए अपने मत और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव ने नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों और वैचारिक तथ्य पर सार्वजनिक जुड़ाव का भी अवसर दिया है।

राजनीतिक संचार को जन–केंद्रित बनाना– वोटरों और नागरिकों को जोड़ने के लिए मध्यस्थता और सीधा संचार स्थापित करने के लिए चुनावों के दौरान भारतीय राजनेताओं द्वारा राजनीतिक संचार के लिए सोशल मीडिया का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। जैसे 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में सोशल मीडिया का अहम स्थान रहा।

डिजिटल लोकतंत्र– सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने लोकतंत्र का डिजिटलीकरण किया है जिसमें लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम का उपयोग राजनीतिक टीका टिप्पणी और अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। किसी विषय या समस्या को लेकर सोशल मीडिया व इंटरनेट पर काफी सारी मुहिम और पहल का भी आयोजन किया जाता है। यह सभी प्रक्रियाएं लोकतंत्र के डिजिटल स्वरूप का निर्माण कर रही है।

उत्तरदायित्व निर्धारण करना– सोशल मीडिया लोकतंत्र में एक ऐसे उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है जिसके द्वारा नागरिक प्रशासन और सरकारों पर सवाल उठा सकते हैं और उन्हें उत्तरदायी और जवाबदेह बना सकते हैं।

उपेक्षित लोगों और विषयों को समर्थन देना– वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया में लोगों को सूचित रखने की अपार शक्ति और संभावना है। समय–समय पर देखा गया है बहुत सारे क्षेत्रीय उपेक्षित मुद्दों को विश्व का समर्थन मिला है, जैसे कि ट्यूनीशिया में सोशल मीडिया ने अरब स्प्रिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लोगों के व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में– स्वच्छ भारत अभियान और हाल ही में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अखिल भारतीय अभियानों की सफलता और प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। इन और इनके जैसे अन्य कई अभियानों के प्रति सामाजिक चेतना और जागरूकता के लिए सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सोशल मीडिया और लोकतंत्र पर उसके दुष्प्रभाव

वैचारिक ध्रुवीकरण– लोकतांत्रिक परिदृश्य से सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह एक गूंज कक्ष का निर्माण करता है, जहां लोग केवल उन दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वह सहमत होते हैं और अन्य दृष्टिकोणों व विचारों से वह भिन्न हो जाते हैं।

भ्रम का निर्माण– राजनीतिक दृष्टिकोण से सोशल मीडिया की आलोचना की जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आलोचना सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा प्रोपेगेंडा का निर्माण है। अनेक राजनीतिक दल और गैर राजनीतिक समूह फेक अकाउंट्स के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा का निर्माण और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप लोग उचित जानकारी और विषयों से अनभिज्ञ रहते हैं।

त्रुटिपूर्ण समाचार का संकट– ध्रुवीकरण और विभाजन कारी सामग्री का उदय आधुनिक राजनीति का एक निर्णायक क्षण रहा है, जिसे सोशल मीडिया और उसके विभिन्न माध्यमों के द्वारा मिथ्या समाचार के प्रचार प्रसार से काफी पोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे देश के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरों और अफवाहों के प्रसार, महत्वपूर्ण डिजिटल

साक्षरता के निम्न स्तर के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह लोकतंत्र के लिए भी मुख्य चुनौती है।

सामाजिक समरसता और भाईचारा को क्षति— सोशल मीडिया ने लोकलुभावन राजनीति और उग्र राजनीति की एक शैली को सक्षम किया है, जो नकारात्मक पक्ष पर अभद्र भाषा और हेट स्पीच (चरम भाषण) को डिजिटल क्षेत्र में पनपने की अनुमति और अवसर देता है। जिससे लोगों की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक—वैचारिक भावनाएं आहत होती है। जिसका देश की सामाजिक समरसता और लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है।

साइबर बुलिंग और टोलिंग— सोशल मीडिया का एक और विवादास्पद तत्व यह भी है की उसमें तर्कसंगत आलोचनाएं करने वालों या सरकार के कार्य या प्रमुख सार्वजनिक विषयों से असहमत लोगों को 'राष्ट्र विरोधी' के रूप में लेबल करना और व्यक्तिगत रूप से ट्रोल करना। यह राजनीति में असहमति की अवहेलना है जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

असमान भागीदारी— किसी लोकतंत्र में सोशल मीडिया समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाज के शिक्षित और संपन्न लोगों का सोशल मीडिया और उसके विचार विमर्श पर अधिक नियंत्रण रहता है। जिस कारणवश सोशल मीडिया राजनेताओं और नीति निर्माताओं के प्रति जनता की राय को विकृत करता है।

विदेशी हस्तक्षेप— सोशल मीडिया किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक खतरा हो सकता है। आंतरिक विषयों में विदेशी हस्तक्षेप, साइबर अटैक अन्य समस्याएं सोशल मीडिया और सुरक्षा विषयों के लिए चिंता का विषय है। 2016 अमेरिकी चुनाव के दौरान, रूसी संस्थाओं ने सार्वजनिक भावनाओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक पर नकली पेजों की स्थापना और प्रचार प्रसार किया।

यदि लोकतंत्र के संदर्भ में सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में एक मौलिक सच्चाई है तो, वह यह है कि यह मानवीय मंशा को बढ़ाता है— अच्छी और बुरी दोनों। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सर्वोत्तम रूप में, यह स्वयं को व्यक्त करने और उचित कार्यवाही करने की अनुमति देता है। और सबसे बुरी स्थिति में, यह लोगों को गलत सूचनाएं फैलाने, अफवाह फैलाने और लोकतंत्र और किसी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की अनुमति देता है।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

- **संदर्भ सूची**

- Choudhary, A. (2021). *"Why democracy needs social media".* Indian express.
- Ghosh, D. (2021). "*Facebook is weakening democracy".* Hindustan Times.
- Mukundrajan, V.N. (2018). *"Impact of social media".* The Hindu
- Gayo- Avello, D. (2015). *"Social media, democracy and democratization"*. Multimedia Impact
- Tucker, J.A & Theocharis, Y. (2017). *"From Liberation to turmoil: social media and democracy"*. Journal of democracy

4

सोशल मीडिया एवं समाजः एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य

गरिमा शर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सोशल मीडिया समकालीन समय में समाज की पहचान बन चुका है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति सोशल मीडिया का भागीदार बन गया है। 2019 तक भारत 574 मिलियन इन्टरनेट सेवा को उपभोग करने वाली जनसंख्या वाला देश बन चुका था। कोरोना संकट के समय में सोशल मीडिया ने एक नए रूप को धारण कर लिया है, जहाँ वह लोगों के मनोरंजन के साधन से लेकर मनो स्थिति को व्यक्त करने तक का मंच बन गया है। कहीं ज्वलंत विषयों पर विचार विमर्श करते हुए बुद्धिजीवियों को देखा गया तो कहीं अपने कला को व्यक्त करने के लिए इसे एक कला मंच की तरह प्रयोग में लाया गया। सोशल मीडिया तक सामान्य जन मानस के बढ़ती पहुँच ने उन नए द्वारों को खोला है जिन पर कभी अभिजात वर्ग का ही बोलबाला माना जाता था। मीडिया को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के रूप में पहचाना गया है, इसमें सोशल मीडिया के आगमन न इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने का कार्य किया है।

आज विश्व की कोई भी बड़ी या छोटी सूचना एक स्पर्श मात्र की दूरी पर होती है। मनोरंजन से लेकर नए अविष्कारों तक की प्रत्येक घटना क्षण भर में विश्व के प्रत्येक कोने तक पहुँच जाती है। सोशल मीडिया ने लोकतंत्र में जनमानस को अधिक स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करने का कार्य किया है। यह उन उपेक्षित वर्गों की आवाज़ बनकर उभरा जिन्हें समाज में शून्य पर रख दिया जाता था। स्वतंत्रता एवं समानता के साथ–साथ सोशल मीडिया के मंच ने पारदर्शिता लाने का प्रयास भी किया है परन्तु सोशल मीडिया पर बढ़ती सुगमता के साथ कुछ प्रश्न चिन्ह लगने का सिलसिला भी आरम्भ हो गया है। जिसे लोकतंत्र के लिए विशेषकर हानिकारक माना जा रहा है।

सर्वप्रथम, सोशल मीडिया की कार्य प्रक्रिया पर यह प्रश्न आरोपित किया जाता है कि इसके द्वारा समाज को ध्रुवीकृत करने का कार्य बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। जिसे समाज को सुदृढ़ बनाने वाली सामाजिक संपदा जैसी अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। इसे मात्र धार्मिक विषयों में ही नहीं देखा जाता है वरन यह जाति, नस्ल एवं लिंग जैसे वाद विषयों में भी अपनी

छाप बनाता रहा है। चुनावी राजनीति के अंतर्गत राजनेताओं ने सोशल मीडिया को सामान्य जन मानस से जुड़ने के साधन के साथ–साथ चुनाव के अंतर्गत ध्रुवीकरण करने का साध्य बना दिया है। यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। मीडिया के सन्दर्भ में जिस प्रकार नोम चोमस्की कहते है कि यह जनमानस के निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिसे वह 'मैन्युफैक्चर्ड कन्सेंट' अर्थात 'निर्मित सहमति' के रूप में परिभाषित करते है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी यह आरोप आरोपित होने आरंभ हो गए है कि यह सरलता समाज की सोच को संकुचित एवं विस्तृत कर सकता है।

दूसरी ओर प्रकाश डाले तो, सोशल मीडिया के मंच पर निजता की समस्या आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन चूकी है। भारत में निजता को मौलिक अधिकारों की सूची में समिल्लित करने के पश्चात से इस विषय को लेकर चिंतन अधिक व्यापक हो गया है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंच ऐसी सुविधा प्रदान करते है जिस से व्यक्ति की निजता को संरक्षित किया जा सके परन्तु वास्तविकता में सोशल मीडिया अपने नाम के अनुसार व्यक्ति के जीवन को सार्वजानिक बनाने का कार्य करती है। ऐसे में निजता को किस स्तर तक एवं कैसे संरक्षित किया जा सकता है? यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न बन गया है।

भारत सरकार ने फ़रवरी माह के अंतगत सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए है। इन दिशा निर्देशों को लाने के पीछे उन सभी मांगों को ध्यान में रखना था जिसके द्वारा इन सोशल मीडिया मंचों पर अश्लीलता एवं निजता संबंधी विषयों का समाधान किया जा सके। इन दिशा निर्देश का वैधानिक उद्‌भव 2018 में प्रज्वला बनाम भारत सरकार न्यायिक मामले में देखा गया, जिसका मुख्य सरोकार सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर उपस्थित होने वाली अश्लील दृश्य सामग्रियों से सम्बन्धित था। सोशल मीडिया ने जन मानस की आवाज़ को जितना बुलंद किया है उसके साथ ही इसने जन मानस की निजता को भी सार्वजनिक कर दिया है, ऐसे में वह सोशल मीडिया के मंच जिन पर एक बड़ी जनसँख्या का स्पष्ट संपर्क है उन मंचों के लिए यह दिशा निर्देश अधिक आवश्यक हो गए है। सोशल मीडिया भले ही जनमानस को समाज में एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, परन्तु जहाँ प्रश्न सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का होता है वहां राज्य का हस्तक्षेप अधिकतर न्यायोचित माना जाता है।

अंतिम रूप में यदि वर्तमान समय में सोशल मीडिया की कार्य शैली की ओर ध्यान दे, तो यह अपनी बढ़ती उपलब्धियों के साथ व्यवहार में अधिक निरंकुश होते जा रहे है। सोशल मीडिया के

विभिन्न मंचों को जहाँ अधिक उपभोक्ता केन्द्रित होना चाहिए, वही अपनी नई नियमों के द्वारा अधिक निरंकुश होते प्रतीत हो रहे है। लोगों की बढ़ती निर्भरता इन सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अपनी मनमानी करने का साधन बन गयी है। हाल ही में व्हाटस ऐप के द्वारा उपभोक्ताओं पर करने वाली मनमानी एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि फूकों मानते थे की शक्ति के नए स्वरुप उद्भव हो रहे है, जिसका सोशल मीडिया भी एक स्वरुप है। इसे मात्र जानकारी को साँझा करने वाले मंच के रूप में स्वीकार कर लेना शक्ति के उस विशिष्ट प्रकार को अनदेखा करने के सामान होगा, जो सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से समाज के अंतर्गत संचारित हो रहा है। सरल शब्दों में यदि फूकों के सोशल मीडिया पर विचारों को समझने का प्रयास करें तो यह निगरानी करने का कार्य करता है तथा व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण निर्मित करने का प्रयास भी करता है। यह सोशल मीडिया के मंच वास्तविकता में कितने जन हितकारी है इसका निर्णय जन को जागृत होकर करने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में निजी तंत्र को भी लोक क अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि सोशल मीडिया के मंच निजता एवं अश्लीलता जैसे प्रमुख विषयों से स्वयं को पृथक कर लेंगे तो वह उस अस्तित्व को धूमिल कर देगा जिस कारण वह समाज के अंतर्गत इतना लोकप्रिय हुए है। कोरोना संकट के काल में सोशल मीडिया के मंच ने जिस प्रकार लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है वह अपने आप में एक सराहनीय कार्य बना है। सोशल मीडिया समाज को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का कार्य कर सकता है यदि वह रोबर्ट पुटमैन की सामाजिक संपदा की संकल्पना को पल्लवित करने का कार्य करे, तथा इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जनमानस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज से संपर्क करने वाली आश्रिता का परित्याग कर स्वराज जैसी स्वदेशी विधियों के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ सूची**

- Chomsky, Noam and Edward S. Herman (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books.
- Stein, Mathew (2016). 'Michel Foucault, Panopticism and Social Media' presented paper in a conference: New York state political science association annual conference at New York.
- Thaorey, Payal (2017) 'Rethinking Prospects of Rights to privacy on social media networking sites : A legal introspection in India' in Bharati Law Review ,(April-June)

5

सोशल मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021ः एक अंर्तविरोध

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

केंद्र सरकार ने फ़रवरी में जिन नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को लागू किया था उन पर अमल की समय सीमा 25 मई की रात्रि को समाप्त हो चुकी थी और कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया था। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों को चुनौती देते हुए केस किया जिसमें उसने कहा कि इन नियमों के अंतर्गत यदि वो कूट रूप (encrypted) संदेशों तक पहुँच प्रदान करती है तो उससे लोगों के 'निजता के अधिकार का हनन' होगा। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(2) में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी संदेश की उत्पत्ति की पहचान हो सके।

किंतु व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि ''मैसेजिंग ऐप्स से संदेश को 'ट्रेस' करना हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फ़िंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के समान है जो एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को दुर्बल कर देगा''। फेसबुक ने कहा है कि उनका लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना एवं कुछ ऐसे विषयों पर विचार–विमर्श को जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार वे परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं।

संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने वाले प्रावधान के बारे में सरकार ने कहा है, 'यह जनहित में है कि इस प्रकार के अपराध की शुरुआत किसने की उसका पता लगाया जाये और उसे दंडित किया जाये''। साथ ही यह भी कहा कि इस बात से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि ''कैसे मॉब लिंचिंग और दंगों आदि के विषयों में बार–बार व्हाट्सएप संदेश प्रसारित और प्रसारित किए जाते हैं जिनकी सामग्री पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसलिए उत्पत्ति करने वाले की

भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है''। सरकार का कहना है कि एक तरफ़ व्हाट्सएप गोपनीयता नीति को अनिवार्य बनाना चाहता है जिसमें वो अपने सभी उपयोगकर्ता के डेटा को अपनी मूल कंपनी फ़ेसबुक के साथ विपणन और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करेगा और वहीं दूसरी ओर वो मध्यस्थ दिशानिर्देशों को लागू करने से अस्वीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास करता है जो क़ानून–व्यवस्था को बनाए रखने और त्रुटिपूर्ण समाचार (**Fake News**) के संकट को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप एक अपवाद बनाकर मध्यस्थ दिशानिर्देशों को लागू करने से मना करता है कि प्लेटफ़ॉर्म पर संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सूचना के प्रथम स्रोत का पता लगाने का नियम प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिए अनिवार्य है चाहे उनके संचालन की विधि कुछ भी हो। भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन और सूचना माँग रही है। नए नियम क्या हैं?

25 फ़रवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा डिजिटल मीडिया से संबंधित उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अधिकारों की कमी के बारे में बढ़ती चिंताओं के मध्य और जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात् किया गया।

इन नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया सहित सभी मध्यस्थों को ड्यू डिलिजेंस या उचित सावधानी का पालन करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें क़ानून के द्वारा दी गई सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही ये नियम मध्यस्थों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहते हैं और उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने को ज़िम्मेदारी मध्यस्थ पर डालते हैं।

नियमों को बनाने के कारण?

ये नियम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के सामान्य उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए और उनके अधिकारों के उल्लंघन के विषय में जवाबदेही माँगने के लिए काफ़ी हद तक

सशक्त बनाते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया मध्यस्थों के विकास की बात है तो वे अब शुद्ध मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह गए हैं और सामान्यतः वे प्रकाशक बन जाते हैं और ये नियम 'उदार स्व–नियामक ढांचे के साथ उदार स्पर्श' का एक अच्छा मिश्रण हैं। इन नियमों को बनाते समय सरकार ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने आम भारतीयों को अपनी रचनात्मकता दिखाने, प्रश्न पूछने, सूचित होने और सरकार और उसके पदाधिकारियों की आलोचना सहित अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा करने में सक्षम बनाया है।

क़ानून के प्रति उत्तरदायित्व

साथ ही यह भी कहा था कि सरकार लोकतंत्र के एक अनिवार्य तत्व के रूप में आलोचना और असहमत होने के प्रत्येक भारतीय के अधिकार को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है। यह कहते हुए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा खुला इंटरनेट समाज है, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में काम करने, व्यापार करने और लाभ प्राप्त करने के लिए स्वागत करते हुए कहा था कि 'उन्हें भारत के संविधान और क़ानूनों के प्रति जवाबदेह होना होगा'। सरकार का कहना है कि जहां सोशल मीडिया का प्रसार एक ओर नागरिकों को सशक्त बनाता है वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर चिंताओं और परिणामों को जन्म देता है जो विगत कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गए हैं।

सरकार ने कहा था कि 'इन चिंताओं को समय–समय पर संसद और इसकी समितियों, न्यायिक आदेशों और देश के विभिन्न भागों में नागरिक समाज विचार–विमर्श सहित विभिन्न मंचों पर उठाया गया है' और 'इस तरह की चिंताएं पूरे विश्व में भी उठाई जाती हैं और यह एक अंतरराष्ट्रीय विषय बनता जा रहा है'। इन नियमों को बनाने के पीछे अपनी मंशा बताते हुए सरकार ने कहा था कि 'हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ बहुत ही परेशान करने वाले घटनाक्रम देखे गए हैं' और 'त्रुटिपूर्ण समाचारों के निरंतर प्रसार ने कई मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को तथ्य–जांच तंत्र बनाने के लिए विवश किया है'।

सोशल मीडिया पर महिलाओं की मॉर्फ्ड छवियों और रिवेंज पोर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने अक्सर महिलाओं की गरिमा को संकट में डाल दिया है। कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता को खुले तौर पर अनैतिक तरीक़े से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यवसायों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। साथ ही ये भी कहा था कि अपमानजनक भाषा के उपयोग, अपमानजनक और अश्लील सामग्री एवं धार्मिक भावनाओं के

प्रति अनादर के उदाहरण इन प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से बढ़ रहे हैं। नए नियम बनाने की आवश्यकता बताते हुए सरकार ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों, राष्ट्र–विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं ने क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं, और इनमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य का प्रसार, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक व्यवस्था आदि सम्मिलित है।

इस पूरे घटनाक्रम पर साइबर क़ानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि इन नियमों ने कंपनियों के सिर पर एक तलवार लटका दी है और इस तलवार का प्रयोग कहां कंपनियों के विरूद्ध किया जायेगा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उनके अनुसार इन नियमों के माध्यम से सरकार मध्यस्थों और सेवा प्रदाताओं पर अपना नियंत्रण कठोर करती है और उन्हें कुछ चीज़ें करने के लिए विवश करती है और अगर वे न करें तो उन्हें जेल भेजा सकता है। उनके अनुसार इसका कारण ये है की जो नियम आये हैं उन्होंने पूरी तरह लीगल फ्रेमवर्क को परिवर्तित कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि सेवा प्रदानकर्ता से सूचना माँगी जाती थी और यदि सूचना नहीं मिलती थी तो बात आगे नहीं बढ़ती थी। नए नियमों के अनुसार यदि सेवा प्रदानकर्ता सूचना नहीं उपल्बध कराए तो उनके विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई हो सकती है एवं उनको *आई०टी० अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता* के अंतर्गत अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है।

वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता और एशिया प्रशांत नीति निदेशक रमन चीमा के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए नियम अतयंत अभूतपूर्व एवं व्यापक हैं। वे कहते हैं कि सरकार को केवल दूरसंचार कंपनियों, नेटवर्क कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, सर्च इंजन अथवा समाचार वेबसाइट जैसे इंटरनेट मध्यस्थ जो उपयोगकर्ता टिप्पणियों की मेज़बानी कर सकते हैं उनके लिए केवल ड्यू डिलिजेंस या उचित सावधानी परिभाषित करनी थी। लेकिन एक संकीर्ण विषय को परिभाषित करने के स्थान पर उन्होंने संसद में जाये बिना एक अधिनियम बना दिया है जिसका उद्देश्य यह लग रहा है की तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म विरोध न कर सकें एवं सरकार या राजनीतिक निर्देशों का पालन करने के लिए विवश हो जाएं।

चीमा कहते हैं कि सरकार आईटी कंपनियों को बड़ी संख्या में आदेश और राजनीतिक निर्देश भेज रही है और कई कम्पनियां इनका ये कहकर विरोध कर रही हैं कि वो आदेश या तो कंपनी की नीतियों को तोड़ते हैं अथवा सरकार के अपने निर्देशों से मेल नहीं खाते हैं। वे कहते हैं,

सरकार ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक राजनेता के ट्वीट की लेबलिंग के विषय को अपने हाथ में लेने को कहा। अगर आप फ़रवरी में पारित इन नियमों में सरकार के स्वयं के निर्देशों को देखें तो वे वास्तव में चाहते थे कि प्लेटफ़ॉर्म अधिक स्वचालित तकनीकों का उपयोग करें और सामग्री को अधिक सक्रिय रूप से लेबल करें। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चाहती थी कि वे तब तक ऐसा करें जब तक कि यह उनसे जुड़े किसी राजनेता से संबंधित न हो।

दुग्गल के अनुसार समस्या यह है कि आईटी नियम 2021 में कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है। संभावित रूप से उसका जो दुरूपयोग होने की सम्भावना है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पुलिस की शक्तियों पर भी तो कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इन शक्तियों के प्रयोग से आप राजनीतिक विरोधियों अथवा आलोचकों को निशाना बनाना चाहते हैं क्या? इन नियमों का अनुचित प्रयोग न हो इसीलिए आवश्यक है कि इनमे नियत्रंण एवं संतुलन होने चाहिए।

अधिनियम कहता है कि आप नियम लाइए, गोपनीयता नीति लाइए, उपयोगकर्ता का समझौता लाइए जिससे आप उपभोक्ताओं को बताएंगे कि वो क्या क्या नहीं कर सकते। अगर कंपनियों ने नियम लागू कर दिए एवं प्रत्येक छह महीन में लोगों को सूचित कर दिया कि लोग उनका पालन करें तो उसके पश्चात् भी कोई नियम का उल्लंघन करता है तो कंपनियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि कंपनियां ड्यू डिलिजेंस के मापदंडों का अनुपालन कर लेंगी तो उन्हें सेक्शन 79 के अंतर्गत क़ानूनी दायित्व स वैधानिक छूट का सुरक्षा कवच मिल जाता है।

ये नियम केवल बड़े सेवा प्रदानकर्ता जैसे ट्विटर और फ़ेसबुक पर ही नहीं अपितु 99.9 प्रतिशत भारतीय कंपनियों पर भी लागू होते हैं। ये नियम मध्यस्थों पर लागू होते हैं। आईटी एक्ट में मध्यस्थों की परिभाषा इतनी विशाल है कि लगभग 99.9 प्रतिशत कंपनियां मध्यस्थ मानी जा सकती हैं। यदि कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा या कम्प्यूटरों का इस्तेमाल कर रही है या थर्ड पार्टी डाटा को अपने सिस्टम में रख रही है, चाहे वो उसके कर्मचारियों का ही डाटा क्यों न हो, तो वो मध्यस्थ बन जाती है। एक बार आप मध्यस्थ बन जाएं तो आईटी एक्ट की धारा 79 में कहा गया है कि आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय ड्यू डिलिजेंस अपनाना पड़ेगा।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ–सूची**

- https://dot.gov.in/sites/default/files/Final%20Hindi%20NDCP-2018%20as%20uploaded%20on%20website%20on%2026.09.2018.pdf
- https://www.amarujala.com/technology/tech-diary/social-media-guidelines-are-important-for-users-as-well-as-companies-here-is-all-you-need-to-know
- https://www.bbc.com/hindi/india-57267830
- https://www.aajtak.in/india-today-hindi/rashtra/story/the-containment-zone-social-media-ott-platforms-twitter-facebook-new-guidelines-1218884-2021-03-08
- https://india.mom-rsf.org/hi/context/law/
- https://www.drishtiias.com/hindi/mains/model-essays/democracy-and-freedom-of-expression

6

सोशल मीडियाः—अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक साधन के रूप में

नीलम

विद्यार्थी, दौलतराम कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सोशल मीडिया यंत्रों में सूचना को सांझा करने तथा विचार—विमर्श करने के रूप मे मुख्य रूप से मोबाइल फोन व इंटरनेट सम्मिलित है। यह प्रोद्योगिकी, दूरसंचार व सामाजिक संपर्क को मिश्रित करता है तथा चित्रों, शब्दों, फिल्मों व संगीत के माध्यम से संवाद करने के लिए के एक मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया को किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। जो किसी व्यक्ति को अंतः क्रियात्मक रूप से संवाद करने मे सक्षम बनाता है। एन्ड्रियास कपलान तथा माइकल हेनलेन ने सोशल मीडिया को "इंटरनेट आधारित अनुप्रयोगों के एक समूह के रूप मे परिभाषित किया है। जो वेब 2.0 की वैचारिक व तकनीकी नींव पर आधारित है। जो उपयोगकर्ता द्वारा पारस्परिक सहभागिता की अनुमति प्रदान करता है।

सोशल मीडिया का एक अन्य रूप मोबाइल सोशल मीडिया है अर्थात् जब सोशल मीडिया का प्रयोग मोबाइल उपकरणों के संयोजन मे किया जाता है तो इसे मोबाइल सोशल मीडिया कहा जाता है। इस तथ्य के कारण ही मोबाइल सोशल मीडिया मोबाइल उपकरणों पर चलता है यह पारंपरिक सोशल मीडिया से भिन्न है। क्योंकि इसमें उपयोगकर्ताओं के वर्तमान स्थान (स्थान संवेदनशीलता) तथा संदेश भेजने व प्राप्त करने के मध्य समय (समय—संवेदनशीलता) जैसे नए कारक सम्मिलित है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्पष्टतः इस अवधारणा के रूप मे समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी मीडिया के माध्यम से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप और प्रतिरोध के डर के बिना, जैसे कि धमकियों व उत्पीड़न के बिना स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का प्राकृतिक अधिकार है। अभियक्ति की स्वतंत्रता एक जटिल अधिकार है। क्योंकि इसके साथ विशेष कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ सम्मिलित है। इसलिए यह कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो

सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्द प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था, लगभग 2400 वर्ष पहले ग्रीक एथेनीयन युग मे प्रयोग किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सबसे सामान्य रूप से परिभाषाएं निम्नलिखित है जिन्हे वैध अन्तराष्ट्रिय मानक माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने व किसी भी मीडिया के अंध्याम से तथा सीमाओं की परवाह किए बिना जानकारी व विचार प्राप्त करने व प्रदान करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है।

प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने का अधिकार होगा, इस अधिकार मे सीमाओं की परवाह किए बिना, मौखिक रूप से लिखित रूप से या प्रिन्ट में, कला के रूप मे, या अपनी प्राथमिकता तथा वरीयता के किसी भी अन्य मीडिया के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी व विचारों को प्राप्त करने तथा आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता सम्मिलित होगी।

इसी प्रकार, भारत के संविधान कअ अनुच्छेद 19 (1) (ए) भी भारत के नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों को मौखिक, लिखित, चित्र या अन्य किसी भी माध्यम से स्वतंत्रत रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें अन्य लोगों के विचारों को प्रचारित करने या प्रकाशित करने का अधिकार भी सम्मिलित है। जॉन मिल्टन के अनुसार, भाषण की स्वतंत्रता को एक बहुआयामी अधिकार के रूप में समझा जाता है, जिसमें न केवल सूचना व विचारों को व्यक्त करने या प्रसारित करने का अधिकार सम्मिलित है, अपितु सूचना व विचारों को प्राप्त करने व प्रदान करने का भी अधिकार सम्मिलित है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व सोशल मीडिया

इंटरनेट व सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण बन गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अभिव्यक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते है और सूचनाओं तथा विचारों का आदान–प्रदान कर सकते है। पूर्व के कुछ वर्षों मे विश्व भर मे ऐसे लोगों का बढ़ता हुआ आंदोलन देखा गया है, जो परिवर्तन, न्याय, समानता व मानवाधिकारों के सम्मान की वकालत कर रहा है। ऐसे आंदोलनों में ,इंटरनेट और सोशल मीडिया ने समान्यतः लोगों को जोड़ने व सूचनाओं का आदान–प्रदान करने तथा एकजुटता की भावना उत्पन्न करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने मौलिक रूप से परिवर्तित मीडिया परिदृश्य में राय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग देने के भी प्रयास किया है,

जिसके केंद्र में इंटरनेट व मोबाइल संचार है अधिकृत अधिकार है। न्यू मीडिया को विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक वैश्विक नेटवर्क के वर्णित करते हुए समिति ने कहा कि राज्यों को इन नए मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उन तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यूडीएचआर का अनुच्छेद 19 तथा आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 19(2) भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के विषय मे भी बोलने व अभव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि भारत के संविधान व अन्य अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजों के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। और इस अधिकार का प्रयोग करने के माध्यम से इंटरनेट व सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के आलोक में, इस माध्यम तक पहुँच को भी एक मौलिक मानव अधिकार के रूप मे मान्यता दी गई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को उत्तरदयित्व के बिना बोलने या प्रकाशित करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद–19 (2) के अनुसार, विधायिका निम्नलिखित आधारों पर भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकती है।

1. भारत की संप्रभुता व अखंडता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
4. सार्वजनिक आदेश सभ्यता या नैतिकता
5. अदालत की अवमानना
6. मानहानि
7. अपराध के लिए उत्तेजना

यद्यपि भारत मे कोई विशेष कानून नहीं है, जो सोशल मीडिया से संबंधित हो, उपस्थित तथाकथित साइबर कानूनों में कई प्रावधान है जिनका उपयोग साइबर स्पेस, इंटरनेट व सोशल मीडिया में किसी भी अधिकार के उल्लंघन के विषय में निवारण के लिए किया जा सकता है। विधानों व संबंधित प्रावधानों को विशेष रूप से निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है।

- धारा 43 के अंतर्गत कंप्युटर से संबंधित अपराध करना, संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना, पहचान की चोरी, कंप्युटर संसाधन का प्रयोग करके

धोखाधड़ी, गोपनीयता का उल्लंघन, साइबर आंतकवाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सूचना को प्रकाशित या प्रसारित करना सम्मिलित है।

- अधिनियम की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के हित में किसी भी कंप्युटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- धारा– 69 ए केंद्र सरकार को समान आधार पर किसी भी कंप्युटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- धारा 69 (ब) साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्युटर संसाधन के माध्यम से यातायात डेटा व सूचना की निगरानी व एकत्र करने के लिए किसी भी एजेंसी को अधिकृत करने के लिए केंद्र सरकार को निर्दश जारी करने की शक्ति प्रदान प्रदान करती है।

सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सम्मिलित सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड का प्रावधान करती है।

- कोई भी व्यक्ति जो कंप्युटर संसाधन या संचार उपकरणों के माध्यम से भेजता हैः– कोई भी जानकारी जो आक्रमक है या घातक है।
- असुविधा उत्पन्न करने या ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे मे प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।

इस प्रकार की गतिविधियां निम्न हैः–

- अप्रैल 2012 में, पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय मे रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर एक कार्टून पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
- मई 2012 मे पेसबुक पर एक ट्रैड यूनियन नेता और कुछ राजनेताओं के विरुद्ध भी मुंबई पुलिस ने एयर इंडिया के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया किसी की अभिव्यक्ति व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तथापि इसका प्रयोग अवैध कार्यों के लिए भी किया जा रहा है,

जिसने सोशल मीडिया को सेंसर करने के सरकार के प्रयासों को बल दिया है। तथापि, भारत के वर्तमान साइबर कानून इस संबंध में न तो उपयुक्त है और न ही पर्याप्त है। उपस्थित आइ टी कानूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि साइबर स्पेस में सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार के पास अपार शक्ति है। फिर भी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक विशिष्ट कानून वांछनीय है।

अतः इस तर्क को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को तकनीकी विशेषज्ञों सहित एक समिति बनानी चाहिए जो सोशल मीडिया के प्रयोग और दुरुपयोग के सभी संभावित पहलुओं पर विचार करें तथा एक उचित रूप में सिफारिश करने जिससे नागरिकों के अधिकारों को बाधित किए बिना इसे नियंत्रित किया जा सके।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

Allen Summer, (2009), Social Media's Growing impact on our lives, American Psychology Association.

Article-19 Universal Declaration of Human Rights, 1948 (1948)

Andreas M Kaplan, Michael Haenlein (2009), Users of the world, unite! The Challengers and opportunities of social media, Kelley School of Business, Indiana University.

Article 19(2), Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR).

7

सोशल मोडिया का भारतीय राजनीति पर प्रभावः आवश्यकता व निर्भरता

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए संचार और प्रचार के उद्देश्य से सोशल मीडिया का उपयोग चुनावों के समय मार्ग प्रशस्त करता है, तथा उन्हें विचार–विमर्श के लिए एक बड़ा दर्शक वर्ग भी प्रदान करता है जिससे सभी नेता अपने मतदाताओं तक हर समय पहुंच रख सकते हैं। दिन–प्रतिदिन की राजनीतिक घटनाएं विज्ञापनों, ब्लॉग पोस्ट और लाखों ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट इत्यादि से भरी है। नेता अब अंतहीन विज्ञापनों के माध्यम से अपने संदेशो को लगातार प्रदर्शित करने में सक्षम हैं और उनके कार्यों पर सीधे प्रतिक्रिया देखकर उनके संचार का आकलन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं के मध्य एक राजनीतिक विचार–विमर्श कर सकते है। राजनीतिक संदेश देने की शक्ति को मास मीडिया मॉडल से हटा लिया गया है और इसे सार्वजनिक संवाद के रूप में रखा गया है। जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण परंपरागत रूप से राजनीति से बाहर रखे गए नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे प्रवेश पाने की अनुमति देकर सोशल मीडिया ने भारतीय राजनीति को समावेशी बना दिया है। इसने विभिन्न दृष्टिकोणों और अभूतपूर्व स्तर पर सार्वजनिक जुड़ाव की भी अनुमति दी है जिसका प्रभाव निम्न रहा है ।

सोशल मोडिया का युवा वर्ग पर राजनीतिक प्रभाव

सोशल मीडिया ने युवा वर्ग को राजनीति में उपस्थिति में वृद्धि को हैं जिसकी साधारणतया राजनीति में भागीदारी निम्न देखी जाती थी जिसका कारण इस वर्ग की चुनावी राजनीति में अल्प रुचि तथा तार्किक आधार पर निर्णय लेने की परंपरा मानी जा सकती है। राजनीतिक विषयों के प्रति उदासीनता इस वर्ग के राजनीति में हित समायोजन की समस्या को लेकर इनकी मतदान प्रतिशतता के प्रति एक गंभीर समस्या मानी जा सकती थी। पिछले कुछ चुनावों में इनकी राय को परिवर्तित करने में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण बन गया है। एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जनमानस के व्यवहार को प्रभावित करने में यह प्रभावी सिद्ध हुआ हैं। तथापि सोशल मीडिया की

आवश्यकता तथा विभिन्न विषयों में इसका प्रयोग करते हुए इसके प्रति निर्भरता ने भारतीय राजनीति में इसके प्रभाव के प्रति वाद–विवाद को भी जन्म दिया है। इस विवाद का कारण इसके प्रयोग में स्वयं के हित है।

युवा वर्ग अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया को समर्पित करते हैं, और राजनीतिक दल इस तथ्य से अवगत है जिसके अंतर्गत पूर्व के कुछ चुनावों में युवा पीढ़ी को प्रभावित करने का यह प्रभावी माध्यम भी रहा है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक राय व्यक्त करने के लिए 'आम आदमी' के अद्वितीय सशक्तिकरण और व्यवस्था की अनुमति दी है। इसके विकास का सकारात्मक प्रभाव यह रहा है कि युवा राजनीतिक विषयों पर विचार–विमर्श कर रहे हैं। पूर्व में राजनीतिक विचार–विमर्श मात्र उन लोगों के लिए विवश थी जो समाचार पत्र पढ़ते थे, समाचार चैनल देखते थे या किसी गांव या क्लब के नुक्कड़ में विचार–विमर्श में यागदान करते थे। किंतु अब, सामाजिक संपर्क ने भारत के युवाओं को राजनीतिक विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए विवश कर दिया है। वे राजनीति का विश्लेषण और विचार–विमर्श करने के लिए समय लगाते हैं। वे अब राजनीतिक घटनाओं पर अपने विचार रखते हैं और प्रशासनिक निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सोशल मीडिया का विकास तथ्यात्मक, बोधगम्य और तेज–तर्रार है। तथापि यह शीघ्र बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं ला सकती है, फिर भी यह भारत जैसे विकासशील देश में राजनीतिक जागरूकता विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सोशल मिडिया तथा भारतीय चुनावों का परिवर्तित स्वरूप

राजनीतिक दल सोशल मीडिया की सहायता से मतदाताओं की पसंद और नापसंद के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हैं; और उनमे अधिक परिवर्तन करते हैं, विशेष रूप से स्विंग वोटर, जिनके विचारों को सूचनाओं में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। वैश्विक प्रवृत्ति के पश्चात्, भारतीय राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा चुनावों के मध्य नियमित राजनीतिक संचार के लिए सोशल मीडिया का शीघ्रता से उपयोग किया जा रहा है जिससे कि नेताओं और नागरिकां को जोड़ने के लिए मध्यस्थता और सीधा संचार प्रदान किया जा सके और देश में राजनीतिक परिदृश्य को पुनः सक्रिय किया जा सके। जबकि हाल के आम चुनाव ने इस परिवर्तन की सबसे अधिक स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ प्रदान की हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 2014 के आम चुनावों के पश्चात् से नियमित राजनीतिक संचार में एकीकृत किया गया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता में ला दिया। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014

के चुनावों के दौरान और कार्यालय में अपने पर्व कार्यकाल के दौरान सोशल मीडिया के भाजपा के व्यापक उपयोग पर आधारित है।

यह 2014 के आम चुनाव में मोदी की अभूतपूर्व सफलता थी जिसने भारत के अन्य राजनीतिक अभिनेताओं को सोशल मीडिया के परिवर्तित स्वरूप पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया । अन्य राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया पर निर्भरता से भारत में राजनीतिक संचार का परिदृश्य इतना विषम, समावेशी, रचनात्मक और एक ही समय में समान रूप से ध्रुवीकरण करने वाला कभी नहीं रहा। 2019 के भारतीय आम चुनावों के दौरान भी सोशल मीडिया ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है जिसमें राजनीतिक दलों, नेताओं और समर्थकों ने राजनीतिक प्रचार और संचार के लिए इसका बड़े स्तर पर उपयोग किया। तथापि, 2019 का आम चुनाव सार्वजनिक विचार–विमर्श में नए निम्न स्तर के त्रुटिपूर्ण समाचारों और गलत सूचनाओं की व्यापकता और राजनीतिक संचार से संबंधित नैतिक मानदंडों के नियमित उल्लंघन का उदाहरण रहा है। राजनीतिक संचार में नैतिकता, जो सदैव एक जटिल विषय रहा है डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय से और जटिल हो गया है जो सभी राजनीतिक अभिनेताओं–नेताओं, पत्रकारों और जनसंचार माध्यमों और दर्शकों के मध्य पारंपरिक नैतिक बाधाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2019 के आम चुनावों में ध्रुवीकरण और विभाजनकारी सामग्री का उदय एक परिभाषित विशेषता रही है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रचार अभियान में सांप्रदायिक तत्वों को उजागर किया है। सोशल मीडिया ने लोकलुभावन राजनीति की एक शैली को सक्षम किया है जो जुझारू और व्यक्तिगत है, जिससे अभद्र भाषा और भाषण पनपने की अनुमति मिलती है, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में और निजी व्हाट्सएप ग्रुप चैट के भीतर। सहाना उडुपा इस तथ्य की जांच करती है कि भारत में ऑनलाइन राजनीतिक संचार और भागीदारी में अभद्र भाषा और चरम भाषण कैसे नियमित हो गए हैं, इसके लिंग संबंधी निहितार्थ और ऑनलाइन बहुसंख्यक जुझारूपन उत्पन्न करने में दलीय प्रतिस्पर्धा की विशेष भूमिका रही है। संगीता महापात्रा और जोहान्स प्लाजमैन (2019) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रचारित भय और द्वेष की राजनीति ने सामाजिक दोष रेखाओं को और विशाल कर दिया है। दोनों पक्षों और उनके प्रतिनिधियों ने बड़ी मात्रा में त्रुटिपूर्ण समाचार और गलत सूचना साझा की, जो तथ्य–जांच करने वाली संस्थाओं और सतर्क नागरिकों के लिए प्रत्येक विषय को संसाधित करने और वास्तविकता को सामने लाने के लिए अधिक कठिन सिद्ध हुई।

पारंपरिक मीडिया को दरकिनार करने और आलोचकों के प्रति जनमानस को सम्मिलित करने के लिए सोशल मीडिया का यह उपयोग, मोदी जी के राजनीतिक संचार की एक भिन्न शैली है जो संवादात्मक और निरंतर है। रोड्रिग्स और नीमन के अनुसार राजनीतिक एजेंडा निर्माण तथा नीति प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उनका सफल उपयोग स्वच्छ भारत और फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियानों में स्पष्ट दिखता है।

चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा सफल सोशल मीडिया अभियानों के कुछ उदाहरण हैंः 1. आम आदमी पार्टी 2013 और 2020 विधानसभा चुनाव में। 2. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3. बराक ओबामा, 2008 और 2012 के अपने दो निरंतर चुनाव अभियानों के दौरान सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक उपयोग करने वाले पहले नेता हैं। 4. डोनाल्ड ट्रम्प, 2016 के राष्ट्रपति अभियान के साथ–साथ 2020 अभियान भारतीय राजनीति में विशेष रूप से पिछले दशक में सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के अतिरिक्त, न केवल देश के भीतर किंतु देश के बाहर भी लोगों द्वारा इनके उपयोग में एक सुदृढ़ नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। 21 वीं शताब्दी में, विश्व में प्रथम चुनाव जहां बाहरी लोगों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए सोशल मीडिया टूल्स का प्रयोग किया गया था और विश्व स्तर पर विचार–विमर्श की गई थी, वह 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव था, जिसने अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया था। विभिन्न पोस्ट और छवियों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए त्रुटिपूर्ण सोशल मीडिया खाते बनाए गए और संयुक्त राज्य के नागरिकों के रूप में उपयोग किए गए। इस स्थिति में, विशेषज्ञों द्वारा यह बहुत उत्सुकता से देखा जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भविष्य के भारतीय चुनावों में मतदाता की राय, विचारों और विश्लेषण पर कितना प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया के आगमन ने परिवर्तन किया है कि कैसे राजनीति का आयोजन और संचालन किया जा रहा है, जैसे साथ ही भारत में राजनीतिक संचार की प्रकृति। एक ओर सोशल मीडिया ने राजनीति के लोकतंत्रीकरण की अनुमति दी है और राजनीतिक परिदृश्य को पुनः सक्रिय किया। परन्तु दूसरी ओर, गैर–राजनीतिक अभिनेताओं की भागीदारी के साथ कई नैतिक दुविधाएं उत्पन्न भी की हैं।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ सूची**

- Jinalasanghvi. (2020) Role of Social Media in Indian Politics. Legal desire.com. Available at https://legaldesire.com/role-of-social-media-in-indian-politics/
- Rao, Anuradha. (2019). How did Social Media Impact India's 2019 General Election? *Economic political weekly*. ISSN (Online) - 2349-8846
- Denton, Robert R J (1991): *Ethical Dimensions of Political Communication*, New York: Praeger.
- Udapa Sahana (2018): "Gaali Cultures: The Politics of Abusive Exchange on Social Media," *New Media & Society*, Vol 20, No 4.
- Mahapatra, Sangeeta and Johannes Plagemann (2019): Polarisation and Politicisation: *The Social Media Strategies of Indian Political Parties*, " GIGA Focus Asien, Vol 3.
- Rodriguess, Usha and Michael Niemann (2017): " Social Media as a platform for Incessant Political Communication: A Case Study of Modi''s " Clean India" Campaign," International Journal of Communication, Vol 11.

8

भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिकाः विवाद एवं विषमताएँ

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समाज में जिस प्रकार तीव्रता से सोशल मीडिया के प्रयोग की लोकप्रियता बढती जा रही है, उतनी ही तीव्रता से साइबर अपराधों में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। भारत अनुमानतः 700 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ शीर्ष तीन बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है। जिस कारण भारतीय सरकार द्वारा साइबर अपराध जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जा रहो है और इनसे संबंधित कानूनों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। परंतु व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार और देश की संप्रभुता पर वर्तमान समय में सरकार और कंपनियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जो वर्ष 2019–2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी सूचना प्रचारित करने व लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न करने के कारण अत्यधिक बढ़ गए हैं। इस लेख का उद्देश्य सरकार एवं सोशल मीडिया कंपनियों के मध्य इस विवाद का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह लेख गोपनीयता के अधिकार और देश की संप्रभुता के संदर्भ में भारतीय सरकार की भूमिका को समझने का एक प्रयास है।

सोशल मीडिया का राजनीतिकरण

सोशल मीडिया संचार का एक इंटरनेट आधारित रूप है। जिसके विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि ब्लॉग, माइक्रो–ब्लॉग, वर्चुअल वर्ल्ड आदि। परंतु पिछले कई वर्षों में फेस्बूक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत प्रचलित हुए हैं। इन साइटों के माध्यम से किसी भी सूचना की एक बड़ी श्रृंखला बनाना सरल होता है क्योंकि जबसे राजनीतिक रूप से सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ी है इन सभी साइटों का प्रयोग सूचना को दूर–दूर तक प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले इन साइटों का प्रयोग मात्र अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी सूचनाओं, अपने व्यक्तिगत विचारों व लोगों से जुडने के लिए किया जाता था। परंतु भारतीय राजनीति के परिवर्तित प्रवृतियों ने सोशल मीडिया को न मात्र चुनावी प्रचार का माध्यम अपितु राजनीतिक द्वेष का माध्यम भी बना दिया है।

राजनीति से सोशल मीडिया को जोड़ने का विचार एक सकारात्मक पहल थी, जिससे सभी सरकारी सूचनाएँ लोगों को अपने घरों में प्राप्त हो सकें, मतदाता अपने प्रतिनिधियों के साथ जुड़ सकें और अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर सकें। मुख्यतः राजनीतिक रूप से लोगों के समावेश के विचार से सोशल मीडिया के प्रयोग किए जाने के विचार से यह पहल की गई थी। परंतु समय के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते यह मंच मिथ्या सूचना व द्वेष के प्रचार का गढ़ बन गया, जो एक नकारात्मक आयाम के रूप में सामने आया है। जिस कारण यहाँ राजनीतिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है।

आईटी प्रोफेशनलस व आईटी सेल का विस्तार

पिछले कई वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय राजनीति को लेकर आम जनता की रुचि व विचारों में बढ़ोतरी हुई है, सामान्य जन द्वारा इन मंचों का प्रयोग कर अपनी सहभागिता को दर्शाया गया है। सोशल मीडिया ने आम जन और प्रतिनिधियों के मध्य एक संचार को उत्पन्न किया है, जिसमे सभी प्रतिनिधि लोगो से जुडने का प्रयास करते हैं परंतु सोशल मीडिया में राजनीति के आगमन ने एक नए समूह को जन्म भी दिया है जिन्हे आईटी प्रोफेशनलस कहा गया है। यह आईटी प्रोफेशनलस का कार्य होता है राजनेताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन तक जोड़ना व राजनेताओं के सोशल मीडिया आईडी को संचालित करना। जिसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दलों में आईटी सेल का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत यह आईटी प्रोफेशनलस कार्य करते हैं। परंतु यहाँ समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक द्वेष के चलते इन्ही आईटी सेल का प्रयोग चुनावों के दौरान मिथ्या सूचना के प्रचार के लिए किया जाता है।

वर्तमान समय में मात्र राजनीतिक दलों द्वारा ही आईटी सेल का निर्माण नहीं किया गया है अपितु देश में उपस्थित व विदेशों में उपस्थित भारत विरोधी समूहों द्वारा भी इन सेल का निर्माण किया गया है। जिनके द्वारा एक बड़ी शृंखला के निर्माण किया गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के चलते आज प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोगकर्ता है जिसमे नवयुवकों और बच्चों की संख्या अधिक है। परिणामस्वरूप, किसी भी मिथ्या व नकारात्मक सूचना का प्रचार करना बहुत सरल हो गया है।

दल विरोध से देश विरोध तकः सोशल मीडिया की भूमिका

2019 के आम चुनावों के पश्चात् से सोशल मीडिया पर मिथ्या व नकारात्मक सूचना का प्रचार कार्य अधिक बढ़ा है, जिसके कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में मिथ्या सूचना व

दिल्ली में हुए उपद्रव, कोविड के दौरान सरकार के लॉकडाउन को लेकर मिथ्या सूचना व त्रास तथा वर्तमान में कृषि बिल को लेकर किसानों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास मुख्य विषय रहे हैं। 2019 के बाद से कहीं न कहीं सोशल मीडिया का सूचना प्रवाह अधिकतम झूठी सूचनाओं पर आधारित रहा है। जिसके कारण समाज में अव्यवस्था व हिंसा उत्पन्न हो रही हैं। राजनीतिक दलों के आपसी द्वेष के चलते जो अभियान भाजपा विरोधी थे वह कुछ नकारात्मक समूहों द्वारा अधिकृत कर लिए गए और वह देखते ही देखते भारत विरोधी होते चले गए हैं। जिसके कारण भारतीय समाज में एक नया वाद का विषय उत्पन्न हो गया है। जिसके संदर्भ में वर्तमान में हुए किसान आंदोलन मुख्यतः विचार–विमर्श का विषय रहा है, जिसके अंतर्गत आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज को हटा कर अपना ध्वज लगाया गया। साथ ही कई अन्य देशों में एक समूह विशेष लोगों द्वारा भारतोय ध्वज के अपमान की विडिओ सोशल मीडिया साइटों पर प्रचारित की गई। हालांकि इन सोशल मीडिया साइटों के कानूनों के कारण इन सभी झूठी व नकारात्मक सूचना को उत्पन्न करने वाले व प्रचार करने वाले व्यक्तियों का पता करना सबसे कठिन कार्य है। जिसके कारण इन कंपनियों व भारतीय सरकार के मध्य 2019 से ही विचार–विमर्श चल रही है और वर्तमान समय में नए कानूनों को लेकर विवाद देखे गए हैं।

भारत के नए सोशल मीडिया कानूनः विवाद एवं विषमताएँ

मिथ्या व नकारात्मक सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने व इसके प्रथम प्रवर्तक का पता लगाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों को नए दिशानिर्देश दिए गए हैं, जो एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। भारत सरकार के अनुसार शीर्ष तीन बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक होने के कारण भारत की डिजिटल नीति निर्धारण का बारीकी से पालन करना आवश्यक है। भारत सरकार के इस नए दिशानिर्देश द्वारा नए कानून की सूची में से कुछ मुख्य कानून कुछ इस प्रकार हैं:

- 25 फरवरी 2021 को लागू हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के भाग के रूप में, देश में बड़े उपयोगकर्ता आधार वाली सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के अनुसार भारत सरकार के नए जनादेश को समायोजित करने के लिए अपने ऑपरेटिंग मॉडल को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित करना होगा।
- मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सऐप को फ्लैग किए गए संदेशों के "पहले प्रवर्तक" का पता लगाने के लिए एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन को लचीला करना होगा।

- फेसबूक जैसे मंच को भारत के लिए एक नया इंटरफेस भी बनाना होगा, जो उपयोगकर्ताओं को केवाईसी प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ताओं को सत्यापित (वेरिफाई) करने का विकल्प देना होगा और वेरीफिकेशन टैग की रुचि रखने वालों को टैग प्रदर्शित करेगा।
- व्हाट्सऐप को वेरीफिकेशन टैग प्रदर्शित करने का एक साधन तैयार करना होगा, वहीं ट्विटर को प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए सत्यापित ब्लू टिक विशेषता देनी होगी जो इसे चाहते हैं।

इन सभी नियमों के चलते सभी सोशल मीडिया कंपनियों व विशेषज्ञों द्वारा इसे अभिव्यकती और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इनके अनुसार कुछ प्रावधान जैसेकि एन्क्रिप्टेड सामग्री और स्वचालित फिल्टरिंग का पता लगाने का प्रावधान मूलतः एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन के साथ असंगत है और लाखों उपयोगकर्ताओ के दैनिक जीवन के विश्वास का हनन है। जिसको लेकर एक बाद विवाद सामने आया है। जबकि भारतीय सरकार द्वारा वह किसी की गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहें हैं अपितु देश के विरोध या देश में अशान्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रचारित की जाने वाली सूचनाओ का प्रसार करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों का पता लगाने की दृष्टि से इन कानूनों का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि "जिस डिक्रिप्शन की बात भारत कर रहा है वह अमेरिका, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है।" 2019 में जब भारत सरकार द्वारा झूठी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इन संदेशों के प्रवर्तक का पता लगाने पर बल दिया, तब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल, इंग्लैंड के गृह सचिव और ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री द्वारा फेस्बूक प्रमुख मार्क ज़ुकरबर्ग का एक संयुक्त पत्र लिख कर नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैध पहुँच के साधनों को सुनिश्चित किए बिना फेस्बूक को एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए मना किया था।

कुल मिलाकर भारत सरकार जिन कानूनों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रही है वह किसी भी देश के नागरिकों की सुरक्षा व देश की सुरक्षा के संदर्भ में उचित है, साथ ही यह मध्यवर्ती संस्थाओं के जवाबदेहित पर भी स्पष्टता लता है और सोशल मीडिया पर महिलाओं की विकृत छवियों से संबंधित सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगाने के एक उचित मार्ग है। परंतु यदि सोशल मीडिया कम्पनियों की दृष्टि से देखा जाए तो उनका वास्तविक चिंता का विषय व्यक्ति की गोपनीयता की सुरक्षा का नहीं अपितु अपने डिजिटल बाजार को बनाए रखना

है। यदि यह कंपनियां भारत के सरकारी आदेशों को मानती हैं तो उन्हे अन्य देशों की समान मांग को भी पूरा करना होगा। जिसका एक उदाहरण देखने को मिलता है जब भारत द्वारा चीन की ऐप 'टिकटॉक' पर प्रतिबंध लगाने को संदर्भ के रूप में अमेरिकी कार्यकारी आदेश ने 'बाइटडांस' पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया। इससे पहले भी सोशल मीडिया अनुरेखण की क्षमता को लेकर भारत की मांग को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी प्रतिध्वनित किया गया था। जिस कारण साइबर अपराध व इन ऐप को संचालित व उत्पन्न करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओ या व्यक्तियों की जवाबदेहित के संबंध में शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ सूची**

- Govindarajan, G., & Ravindar, N. (2016, June). FREEDOM OF EXPRESSION ON SOCIAL MEDIA: MYTH OR REALITY. *Global Media Journal – Indian Edition*, *Vol. 7*(Summer Issue), No. 1. Retrieved July 28, 2021, from https://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/SR-2016-NOV/SR1.pdf
- https://mib.gov.in/sites/default/files/IT%20%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20Hindi.pdf
- https://www.thehindubusinessline.com/news/national/there-shall-be-no-compromise-on-digital-sovereignty-of-india-says-ravi-shankar-prasad/article34746141.ece
- https://www.thehindu.com/news/national/govt-announces-new-social-media-rules/article33931290.ece

9

भारत में सोशल मीडियाः नागरिकों की गोपनीयता पर एक प्रश्न

शंभू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आविष्कारो नें तकनीकी को जन्म दिया और तकनीकी के माध्यम से आधुनिकता के युग की शुरुआत हुई। 21वीं शताब्दी के इस समकालीन विश्व में सभी बड़े लोकतान्त्रिक देशो नें तकनीकी पर आधारित सोशल मीडिया का स्वागत किया और अपनाया। 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया लोकतन्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व में घटित किसी भी घटना की जानकारी अब सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को पता चल जाती है। समकालीन वैश्विक दौर में सोशल मीडिया नागरिकों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हैं। **Thomas Caryle** नें सोशल मीडिया को परिभाषित करते हुए कहा की लोकतन्त्र का संतुलन विधायिका कार्यपालिक और न्यायपालिका रूपी तीन स्तंभो पर था लेकिन अब इस आधुनिक लोकतन्त्र के युग में मीडिया लोकतन्त्र के चोथे स्तम्भ के रूप में उभरकर आई है। अब लोकतन्त्र को चार स्तंभो पर आधारित और संतुलित माना जाता हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश भारतीय सोशल मीडिया से अवगत हैं। देश के युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई प्रतीत होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के युवा एक दूसरे से जुड़े हुए है और देश विदेश में घटित होने वाली अधिकांश घटनाओ पर देश के युवा विचार विमर्श सोशल मीडिया पर करते है।

विकासशील देश भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिले। वर्ष 2010 में राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं घोटालो के बढ़ते मामलो में देश के नागरिकों नें अपना आक्रोश सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट सरकार पर निकाला। सोशल मीडिया नागरिकों को जागरूक करने का एक साधन बना और जनता को सरकार का विरोध करने का अवसर मिला जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में देश की शासन व्यवस्था में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिला।

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों नें भी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनावो के दौरान देश के नागरिकों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और वर्ष 2014 और 2014 के लोकसभा चुनावो और देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावो में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण कारक बना और राजनीति प्रचार प्रसार के एक नए आयाम के रूप में उभर कर सामने आया। अधिकांश राष्ट्रिय राजनीतिक दलों नें सोशल मीडिया का उपयोग कर चुनाव का प्रचार–प्रसार किया। नागरिकों तक अपनी आवाज को पहुचाया और नागरिकों से जुडने का प्रयास किया।

संक्षेप में कहा जाए तो सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के मंच के रूप में उभरकर सामने आया हैं और लगभग सभी क्षेत्रों में इसने अपनी पकड़ को मजबूत किया हैं। देश की आम जनता से लेकर देश के राष्ट्रिय राजनीतिक दलों और सभी संस्थाओ द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग अब आम बात मानी जाने लगी हैं। अब क्या आम और क्या विशेष सभी जन अपने विचारो और सूचनाओ की अभिव्यक्ति **google, youtube, facebook, twitter, whatsapp, linkdin** और अन्य सोशल मीडिया साधनों के माध्यम से करते हैं और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से जुडते हैं। सोशल मीडिया नें देश के लोकतन्त्र को मजबूत किया और देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति के मंच के रूप में एक नया स्थान दिया।

हालांकि सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक पहलू भी रहे तो साथ ही साथ सोशल मीडिया के अनेकों नकारात्मक पहलू भी देखने को मिले। दिल्ली दंगो से लेकर मॉब–लिंचिंग और आतंकवाद जैसी अनेकों घटनाओ में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ है, और परिक्षण में पाया गया की अराजक तत्वो को सोशल मीडिया पर डाला गया जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई।

सोशल मीडिया के होते दुरुपयोग नें भारत सरकार को सोचने पर विवश किया। सरकार नें इस विषय को राष्ट्रिय सुरक्षा पर उभरती एक चुनौती के रूप में लिया और सोशल मीडिया पर होती अराजकता और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियो को रोकने के लिए सरकार नए अधिनियम लाने का समर्थन करने लगी जिससे सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधियो और घटनाओ को होने से रोका जा सके। निगरानी और नियंत्रण के माध्यम से इन गतिविधियो का समय रहते पता लगाकर उसकी हर संभव जांच की जा सके। भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए लगभग 123 चीन द्वारा निर्मित **applications** को भारत में प्रतिबंधित किया गया जिसमे **tiktok, applock** जैसे विशेष **applications** भी सम्मिलित थे। भारत

सरकार का उदेश्य इस प्रतिबंध द्वारा देश के नागरिकों की निजी जानकारी को अन्य देशो के पास जाने से रोकना था।

भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंच जैसे कि **twitter, facebook, whatsapp, google, youtube** जैसी कंपनियो को कारण बताओ नोटिस दिये गए ताकि यह कंपनिया अपने **applications** की सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर सके और समय और जरूरत पड़ने पर सरकार इनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का समाज के कुछ वर्गो द्वारा आलोचना और विरोध भी किया गया। कहाँ गया की सरकार क इस निर्णय से नागरिकों की निजता का हनन होगा और सरकार नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित करना कहती है जिससे कि सोशल मीडिया पर अविव्यक्ति को रोका जा सके या निगरानी की जा सके।

♦♦♦♦♦

10

सोशल मीडिया एवं सामाजिक समूहबद्धताः एक अध्ययन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सामाजिक समूहबद्धता एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सीमित समय के अंतर्गत, विशेष रूप से सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को सम्मिलित करती है। सामाजिक समूहबद्धता की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने मे रुचि बढ़ रही है।

स्वरहीन लोगों को स्वर देने व प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया को एक माध्यम के रूप मे भी देखा जाता है। विघटनकारी स्वर, संदेशों, विचार व विचारधाराओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का शीघ्रता का उपयोग किया जा रहा है। किसी व्यक्ति या समूह के किसी कार्यक्रम को बढ़ा–चढ़ाकर बताने व विचार विमर्श पर हावी होने की क्षमता ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर निरूसंदेह रूप से प्राप्त की जा सकती ह। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया समाचारों की समीक्षा एवं सूचनाओं के समान स्थापित पत्रकारिता नियमों को नहीं मानता। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष संदेश या समाचार को आगे प्रशस्त करने वाले समूह या संगठन का आकार व स्वरूप अब महत्व नहीं रखता है। यह आलेख इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि कैसे सोशल मीडिया एक विशेष प्रकार की सोच व विचारों की और कुछ दर्शकों को प्रभावित करने के लिए सीमित व संकुचित समाचार और प्रचार का एक मंच बन गया है। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया एक अभिव्यक्ति मार्ग के रूप में तथा उनके माध्यम से सूचना को उपभोग करने वाले लोग इस विचार का दुरुपयोग भी कर रहे है।

अतः यह आलेख इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि कैसे ट्विटर व फेसबुक विशेष रूप से इस तरह से उपयोग किए जाते है जो क्षेत्रों के अंतर्गत अराजकता उत्पन्न करते है और इसके आधिकारिक वाहन बन गए है।

राजनीतिक परिदृश्य को भी सोशल मीडिया द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप विश्व भर मे लोकलुभावनवाद का उदय हुआ है। इसके पश्चात, सोशल मीडिया

द्वारा सम–भाव की गई दर्शकों की सक्रिय भूमिका लोकलुभावनवाद अभिनेताओं के लिए अपने राजनीतिक संदेशों व कार्यक्रमों के विस्तार का एक विस्तृत अवसर बन गया है। मीडिया के माध्यम से लोकलुभावानवाद का प्रसार कोई नया तथ्य नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भी अभिनेता मीडिया का प्रयोग करते रहे है। यद्यपि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व वीबों के माध्यम से राजनीतिक कार्यक्रम काम समय में अधिक लोगों तक पहुंचते है।

लोकलुभावानवाद आंदोलन के सोशल मीडिया की भूमिका केन्द्रीय है। क्योंकि यह राजनीतिक रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचार से, सामाजिक नेटवर्क लोगों के समूह के मध्य इच्छित व्यवहार के प्रसार को विस्तृत करने के लिए सामाजिकता की विधि के अनुकूल है। तथापि, राजनीतक विचार–विमर्श में सोशल मीडिया की प्रकृति को लोकतांत्रिक संवाद के संदर्भ में अवधारित व प्रसारित किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया ने पारंपरिक समूहबद्ध संरचनाओं को परिवर्तित कर दिया है, जिसमे आंदोलनों के सदस्यों की भर्ती कैसे की जाती है, संचार कैसे होता है, सदस्य कैसे विचार–विमर्श करते है और किस प्रकार की विरोध गतिविधियों में सदस्य संलग्न होते है। सोशल मीडिया ने संचार की गति और अंतरू क्रियाशीलता को बढ़ाया है और इसके परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है। आभासी विरोध सांकेतिक परिवर्तन करके, आर्थिक विषमताओं को उजागर करके, दोष के लक्ष्यों की पहचान करके तथा विषय को समाचारों में तथा व्यापक राजनीतिक विचार–विमर्श मे रखकर संस्थागत राजनीति को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया एक सामरिक उपकरण (सूचना को प्रसारित करने, कार्यवाई मे समन्वय बनाने तथा कारण को प्रचारित करने का एक साधन) के रूप मे कार्य करने के साथ–साथ भावनाओं को सांझा करने व कार्यकर्ताओं के मध्य प्रतीकात्मक रूप से एकजुटता की भावना का निर्माण करने के रूप मे भी कार्य करता है। फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइटें लोकलुभावन अस्मिता व एकजुटता की भावना उत्पन्न कर सकती है, जो लोगों को आक्रोश, क्रोध, हताशा के साथ–साथ साझा शिकार की धारणा विकसित करने की अनुमति देती है। तथापि इंटरनेट का प्रयोग राज्य व शक्तिशाली समूहों द्वारा सामाजिक आंदोलनों के विरुद्ध लड़ने व उन्हें बंद करने के लिए भी किया जाता है।

इस प्रकार, सोशल मीडिया में, ट्वीट व रीट्वीट करना प्रमुख बन गया है, जिसमे हेरफेर भी किया जा सकता है। जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कोई विशेष विषय बहुमत की राय का प्रतिनिधितित्व करता है। यद्यपि वास्तविकता में कई बार इन सूचनाओं व संदेशों को वास्तविक रूप मे मात्र प्रदर्शित करने के लिए रूपरेखित किया गया है। ऐसे में जो गलत तथ्य व

विचार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही शीघ्रता से विस्तारित हो जाते है। और जब तक जानकारी ही जांच–पड़ताल की जाती है। तब तक अधिक लागत पर अधिक हानि हो चुकी होती है तथा उसको परिवर्तित करना अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसलिए एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मे सम्मिलित होना कठिन हो जात है। जहां प्रत्येक व्यक्ति विचार–विमर्श कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के निहितार्थ अधिक हो सकते है, विशेषकर जतीयवाद व घृणावाद आदर्श बन जाते है।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ–सूची**

- Berver Anita ¼2012½] The Role of Social Media in Mobilizing Political Protests] discussion paper-
- Jason j- jones] Robert M- Bond] Eytan Bakshy] Dean Eckles] James H- Fowler ¼2017½] Social Influence and Political Mobilization: Further evidence from a randomized eÛperiment in the US Presidention election PLoS ONE 12¼4½: e0173851-
- Meti V] Khandoba PK and Guru MC ¼2015½] Social Media for Political Mobilization in india: A study] Journal of Mass Communication & Jouranalism.

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन
गुरू तेग बहादुर मार्ग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281